www.ghoonghatkibagawat | www.ghoonghatkibagawat | ghoonghatkibagawat37@gmail.com

घूँघट की बगावत

UP/HIN/1999/1282

प्रत्येक रविवार को प्रकाशित

हिन्दी साप्ताहिक समाचार पत्र

वर्ष : 24 अंक : 30 | गोरखपुर, 09 फरवरी 2025 रविवार | पृष्ठ : 6 | मूल्य : 2

दिल्ली चुनाव में भाजपा की जीत, प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी के जादू के कारण : एकनाथ शिंदे

दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सरकार बनाने की संभावना के बीच महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शनिवार को विधानसभा चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन का श्रेय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की गारंटी को देते हुए कहा कि ह्यह्यझूठ की हारह्ल हुई है।सत्तारूढ़ शिवसेना के प्रमुख नेता शिंदे ने ह्यएक्सह्ल पर एक पोस्ट में कहा कि महाराष्ट्र के बाद दिल्ली के मतदाताओं ने भी भाजपा के नेतृत्व में अपना विश्वास जताया है। आम आदमी पार्टी (आप) पर निशाना साधते हुए शिंदे ने कहा कि दिल्ली के विकास में बाधाएं दूर हो गई हैं। उन्होंने कहा कि मतदाताओं ने अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली पार्टी को सबक सिखाया, जिसने संविधान के खतरे में होने का झूठा दावा किया था। शिंदे ने कहा, ह्यह्ययह प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी का जादू है। उन्होंने कहा, ह्यह्यझूठ की हार हुई है और मतदाता सत्य के साथ खड़े हैं।

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि मतदाताओं ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पिछले सप्ताह पेश किए गए केंद्रीय बजट पर भी अपना फैसला दिया है।

शिंदे ने पिछले सप्ताह दावा किया था कि दिल्ली चुनाव के लिए आप के निवर्तमान विधायक शिवसेना के संपर्क में थे, लेकिन मतों के विभाजन से बचने के लिए उन्हें मैदान में नहीं उतारा गया क्योंकि उनकी पार्टी ने भाजपा को समर्थन देने की घोषणा की थी।

न्यायालय ने सहारनपुर में महिला की अप्राकृतिक मौत की जांच के लिए एसआईटी गठित करने का दिया आदेश

▶ एक व्यक्ति के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला सुप्रीमकोर्ट ने किया खारिज

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को एक व्यक्ति के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला खारिज कर दिया और उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक को सहारनपुर जिले में एक महिला की अप्राकृतिक मौत की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित करने का निर्देश दिया। प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि यह आश्चर्यजनक है कि पुलिस अधिकारियों ने केवल महिला के रिश्तेदारों के बयान दर्ज करके अपीलकर्ता के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर दिया।

पीठ ने कहा, क्या इससे भी अधिक भयावह कुछ था? भले ही यह आत्महत्या थी, लेकिन वास्तविक कारण क्या था? क्या मृतक तनु अपने मित्र जियाउल रहमान के साथ जो कुछ हुआ, उससे व्यथित थी? अदालत ने कहा, इसके अलावा कई ऐसे सवाल हैं, जिनका जवाब आज हमारे पास नहीं हैं।

पीठ ने यह भी कहा कि केवल स्वतंत्र, गहन और व्यापक जांच से ही सच्चाई सामने आ सकेगी। अदालत ने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी), कानून एवं व्यवस्था को महिला की अप्राकृतिक मौत की जांच के लिए पुलिस उप महानिरीक्षक स्तर के अधिकारी की अध्यक्षता में एक एसआईटी गठित करने का निर्देश दिया।

▶ सुप्रीम कोर्ट ने परिवार के सदस्यों को अंधाधुंध तरीके से फंसाने के खिलाफ चेतावनी दी

घरेलू हिंसा के मामलों में संवेदनशीलता अत्यंत जरूरी

नई दिल्ली। रेलू हिंसा के मामलों को अत्यधिक संवेदनशीलता के साथ संभालने की जरूरत पर गौर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि किसी आरोपी के परिवार के सदस्यों को आपराधिक मामले में विशिष्ट आरोप के बिना व्यापक तरीके से नहीं फंसाया जा सकता है। न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना और न्यायमूर्ति एन कोटिस्वर सिंह की पीठ ने कहा कि वैवाहिक विवादों में भावनाएं चरम पर होती हैं और परिवार के अन्य सदस्यों को फंसाने की प्रवृत्ति हो सकती है जो शिकायतकर्ता के बचाव में नहीं आते हैं या उत्पीड़न की किसी भी कथित घटना के मूकदर्शक बने रहते हैं।

अदालत ने कहा कि घरेलू हिंसा से संबंधित आपराधिक मामलों में, शिकायतें और आरोप, जहां तक संभव हो, परिवार के प्रत्येक सदस्य के खिलाफ विशिष्ट होने चाहिए, जिन पर ऐसे अपराधों का आरोप लगाया गया है और उन पर मुकदमा चलाने की मांग की गई है, अन्यथा यह परिवार के सभी सदस्यों को अंधाधुंध घसीटकर कठोर आपराधिक प्रक्रिया का दुरुपयोग हो सकता है। ये टिप्पणियाँ एक फैसले में प्रतिबिंबित हुईं, जिसने उन परिवार के सदस्यों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया,

जिनके खिलाफ एक महिला ने अपने ससुराल वालों के अलावा घरेलू हिंसा का मामला दायर किया था।

तेलंगाना हाई कोर्ट ने मुख्य आरोपी की मौसी और चचेरे भाई के खिलाफ कार्यवाही रद्द करने से इनकार कर दिया था। शीर्ष अदालत ने कहा कि परिवार के सदस्यों को जिम्मेदार ठहराए गए विशिष्ट कृत्यों के बिना इसे आपराधिक कृत्य नहीं माना जा सकता। जब गुस्सा बढ़ जाता है और रिश्ते कड़वे हो जाते हैं, तो आरोपों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करने की प्रवृत्ति भी होती है, जिसका मतलब यह नहीं है कि ऐसे घरेलू विवादों को आपराधिकता का रंग दे दिया जाना चाहिए।

पीठ ने आगे कहा कि अगर नापसंदगी ऐसी चीज है जिसने राज्यपाल को परेशान किया है, तो राज्यपाल को इसे तुरंत सरकार के ध्यान में लाना चाहिए था, जो उक्त विधेयकों पर पुनर्विचार कर सकती थी।

▶ तमिलनाडु के राज्यपाल को सुप्रीम कोर्ट की फटकार,

बिना संवाद किए बिल पर नहीं बैठ सकते

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर राज्यपाल राज्य सरकार को कोई सूचना दिए बिना विधान सभा द्वारा पारित विधेयकों पर अपनी सहमति रोक देते हैं तो एक गतिरोध पैदा हो सकता है और आश्चर्य हो सकता है कि गतिरोध कैसे हल किया जाएगा। न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने कहा कि तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि अपनी राय बताए बिना केंद्रीय कानून के प्रति नापसंदगी की धारणा के आधार पर विधेयकों पर यूं ही नहीं बैठे रह सकते। जब राज्यपाल को लगता है कि विधेयक नापसंद है, यह परिवर्तन, संशोधन आदि के दायरे में नहीं आएगा, तो हमारे पास एक प्रश्न है। यदि राज्यपाल का प्रथम दृष्टया यह मानना है कि विधेयक नापसंद है, तो क्या उन्हें इसे राज्य सरकार के ध्यान में नहीं लाना चाहिए? सरकार से यह कैसे उम्मीद की जाती है कि वह जान ले कि राज्यपाल के मन में क्या है?

पीठ ने आगे कहा कि अगर नापसंदगी ऐसी चीज है जिसने राज्यपाल को परेशान किया है, तो राज्यपाल को इसे तुरंत सरकार के ध्यान में लाना चाहिए था, जो उक्त विधेयकों पर पुनर्विचार कर सकती थी। न्यायमूर्ति पारदीवाला ने उन विधेयकों की स्थिति पर सवाल उठाया, जिन्हें राज्यपाल ने राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित किया था। यदि आपको लगता है कि यह विधेयक केंद्रीय कानून के प्रतिकूल है तो आपको एक संदेश देना होगा। राज्यपाल को कुछ ऐसा कहना होगा जैसे मैं इस विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ भेज रहा हूं. नहीं तो गतिरोध पैदा हो जाएगा। आप कैसे उम्मीद करते हैं कि राज्य सरकार प्रतिकूलता पर काबू पा लेगी? यदि आप गतिरोध पैदा करते हैं, तो आपको गतिरोध दूर करना होगा। लेकिन, इस गतिरोध को दूर कौन करेगा? वेंकटरमानी ने कहा कि सात विधेयकों पर राष्ट्रपति ने सहमति रोक दी थी और राज्य सरकार को फैसले के बारे में सूचित कर दिया गया था। सहमति को रोकने का मतलब सहमति को अस्वीकार करना है। एजी ने प्रस्तुत किया, जब राष्ट्रपति ने सहमति को रोकने का फैसला किया।

गढ़ तो गया ही गया साथ ही सेनापति भी ....

मराठी की एक कहावत में गढ़ जीतने को अहम तो बताया गया है, लेकिन गढ़ की जंग में अगर सेनापति का बलिदान हो जाता है तो उस जीत को भी बड़ा नहीं माना जाता। इसी मराठी कहावत की तर्ज पर दिल्ली की सियासी जंग को अरविंद केजरीवाल के संदर्भ में देखें तो कह सकते हैं कि गढ़ तो गया ही, सिंह यानी सेनापति भी नहीं रहा। अलग तरह की वैकल्पिक राजनीति और उसके जरिए आम लोगों को खुशहाल और नए तरह के भविष्य का सपना दिखाकर राजनीति में आए अरविंद केजरीवाल के लिए दिल्ली विधानसभा में बहुमत एक तरह से गढ़ यानी किला ही था। अरविंद केजरीवाल वह किला अब खो चुके हैं और उनके लिए चिंता की बात है कि खुद उनके साथ उनके सेनापति इस जंग में खेत रहे हैं। तो क्या यह मान लिया जाए कि आंदोलन से उपजी राजनीति के दौर का खात्मा तय है? अभी तो यह मान लेना कि आम आदमी पार्टी खत्म हो जाएगी, थोड़ी जल्दबाजी होगी। लेकिन अतीत के उदाहरणों को देखें तो साफ लगता है कि केजरीवाल के लिए राह अब आसान नहीं रही।

अन्ना हजारे के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के साथ उभरी आम आदमी पार्टी ने अलग तरह की राजनीति देने का वादा किया था। अन्ना के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन को लेकर लोगों को कितनी उम्मीदें थीं कि अन्ना का अनशन तो दिल्ली में हो रहा था, लेकिन उसके समर्थन में राजस्थान के रेतीले इलाकों में इक्का-दुक्का घरों के साथ बसी ढाणियों, झारखंड-छत्तीसगढ़ के सुदूर जंगलों, पानीपत से लेकर मोतिहारी, कच्छ लेकर अरूणाचल प्रदेश तक, शायद ही कोई शहर या गांव रहा होगा, जहां मोमबत्तियां न जली हों। ये मोमबत्तियां दरअसल नए भारत की अंजोरियाभरी राह का सपना थीं। आम आदमी पार्टी का जब गठन हुआ तो लोगों को उम्मीद थी कि उसके जरिए देश और उनकी जिंदगी में ऐसा प्रकाश फैलेगा, जिसमें उनके, उनकी संततियों और उनके देश का भविष्य उज्ज्वल होगा। इस उम्मीद और सपने को 2015 और 2020 के विधानसभा चुनावों में दिल्ली की जनता ने भरपूर साथ दिया। पहली 54.3 प्रतिशत वोट और 67 सीटें तो दूसरी बार 53.57 प्रतिशत वोट और 62 सीटें देना एक तरह से बेहतर और चमकीले सपनीले भविष्य को लेकर जनाकांक्षाओं का उफान था। कभी बंगला और गाड़ी न लेने, वीआईपी कल्चर को न अपनाने के वायदे के साथ राजनीति में आए केजरीवाल धीरे-धीरे इसी जनाकांक्षा को भूलते चले गए। दूसरे कार्यकाल में तो वे तानाशाह की तरह खुद को स्थापित करते गए। झूठ और फरेब की राजनीति को ही उन्होंने अपनी सियासी आदत बना लिया। पंजाब में आम आदमी पार्टी की भारी जीत के बाद जैसे उनका खुद पर नियंत्रण नहीं रहा। आम आदमी पार्टी में सिर्फ उनकी ही चलती थी। लोकतंत्र का मुखौटा भी वहां नहीं रह गया था। वैसे भी आम आदमी पार्टी को पहली आर्थिक मदद देने वाले प्रशांत भूषण,. वैचारिक आधार तैयार करने वाले योगेंद्र यादव और प्रोफेसर आनंद कुमार के साथ ही अपने साथी रहे कुमार विश्वास को पार्टी से पहले ही बाहर कर चुके थे। उनके साथ रहे उनके आंदोलन के दिनों के साथी मनीष सिसोदिया और स्वाति मालीवाल। हालांकि उनके शासन के आखिरी दिनों में जिस तरह स्वाति की मुख्यमंत्री के घर में ही पिटाई हुई, उसने केजरीवाल के स्वभाव की एक तरह से कलई खोल दी।

केजरीवाल ने अपने पहले कार्यकाल में बेशक अच्छे कार्य किए। मोहल्ला क्लीनिक का विचार दिया और उसे लागू किया। शिक्षा और स्वास्थ्य का बजट बढ़ाया, दो सौ यूनिट तक बिजली और एक सीमा तक पानी मुफ्त दिया। महिलाओं को फ्री में बस यात्रा की सहूलियत दी। लेकिन इसके साथ ही दिल्ली में भ्रष्टाचार बढ़ता गया। दो साल पहले के चुनाव में नगर निगम पर भी उनका कब्जा हो गया। इसके पहले दिल्ली की सफाई व्यवस्था के लिए नगर निगम पर अपना नियंत्रण ना होने का बहाना बनाते रहे थे, लेकिन अब वह बहाना भी नहीं रहा। फिर भी दिल्ली गंदी होती चली। दिल्ली की लाइफ लाइन मानी जाने वाली डीटीसी के बेड़े से बसें कम होती चली गईं।

केजरीवाल के दौर में हवा-हवाई घोषणाएं खूब हुईं। इसकी वजह से उनसे फायदा लेने वाले लोग भी खुश नहीं थे। डीटीसी के कर्मचारियों, बसों में तैनात

केजरीवाल ने अपने पहले कार्यकाल में बेशक अच्छे कार्य किए। मोहल्ला क्लीनिक का विचार दिया और उसे लागू किया। शिक्षा और स्वास्थ्य का बजट बढ़ाया, दो सौ यूनिट तक बिजली और एक सीमा तक पानी मुफ्त दिया। महिलाओं को फ्री में बस यात्रा की सहूलियत दी। लेकिन इसके साथ ही दिल्ली में भ्रष्टाचार बढ़ता गया। दो साल पहले के चुनाव में नगर निगम पर भी उनका कब्जा हो गया। इसके पहले दिल्ली की सफाई व्यवस्था के लिए नगर निगम पर अपना नियंत्रण ना होने का बहाना बनाते रहे थे, लेकिन अब वह बहाना भी नहीं रहा। फिर भी दिल्ली गंदी होती चली। दिल्ली की लाइफ लाइन मानी जाने वाली डीटीसी के बेड़े से बसें कम होती चली गईं। केजरीवाल के दौर में हवा-हवाई घोषणाएं खूब हुईं। इसकी वजह से उनसे फायदा लेने वाले लोग भी खुश नहीं थे।

मार्शलों आदि को स्थायी नौकरियां देने का वादा कर चुके केजरीवाल उन्हें नौकरियां नहीं दे पाए। शुरू में उनकी बहानेबाजी तो चली,लेकिन बाद में लोगों ने समझना शुरू कर दिया कि वे सिर्फ हवा-हवाई दावे करते हैं और बहानेबाजी के जरिए खुद को बचा ले जाते हैं। 2022 में पंजाब में हुए विधानसभा चुनाव में उन्होंने महिलाओं को हजार रूपए महीने देने का वादा किया था, लेकिन अब तक उन्हें यह रकम नहीं दे पाए। पंजाब रोडवेज की बसों में महिलाओं को फ्री सहूलियत देने के चलते पंजाब रोडवेज घाटे में है। इसकी वजह से महीनों तक कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिल रही। सूचना और संचार क्रांति के दौर में ये सारी बातें दिल्ली की जनता तक पहुंचती रहीं। इसका असर यह हुआ कि केजरीवाल से लोगों का भरोसा खत्म हो गया।

पिछले दो चुनावों तक केजरीवाल नैरेटिव तैयार करते थे और उनके विपक्षी उसका जवाब देते थे। इस बार भी महिलाओं को 21 सौ रूपए महीने देने और उसके लिए उनके फॉर्म भरवाकर नैरेटिव स्थापित कर दिया था। लेकिन बाद में बीजेपी ने उनकी काट शुरू की। उसने अपना पंद्रह सूत्रीय संकल्प पत्र पेश किया। महिलाओं को 2500 रूपए महीने की सम्मान निधि देने और 200 की बजाय 300 यूनिट बिजली फ्री देने जैसे ऐलान किए। इसका असर वोटरों पर दिखा। इस बीच बीजेपी ने चुनाव प्रबंधन के लिए अपने सारे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री उतार दिए। मंडल स्तर तक बड़े नेताओं को जिम्मेदारी दी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता भी सक्रिय हुए। भारतीय जनता पार्टी ने बुनियादी स्तर पर अपने कार्यकताओं को सक्रिय किया, जिन्हें मनाने की जरूरत थी, उन्हें मनाया, सबके योग्य जिम्मेदारी दी। सभी कार्यकर्ता सक्रिय हुए। उन्होंने जमीनी स्तर तक काम किया। इसका असर चुनावों में दिखा। केजरीवाल की पार्टी पस्त रही। खुद केजरीवाल भी हारे हैं, उनके विश्वस्त मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और राखी बिड़लान जैसे नाम चुनावी जंग में खेत रहे हैं।

बीजेपी की जीत में कुछ हिस्सेदारी कांग्रेस भी है। हालांकि उसे पिछले चुनाव की तुलना में महज दो फीसद ज्यादा वोट मिले हैं। कांग्रेस को भले ही समर्थन नहीं मिला। कुछ एक जगहों को छोड़ दें तो उसके उम्मीदवार दूसरे स्थान पर भी नहीं रहे। लेकिन कांग्रेस ने केजरीवाल के भ्रष्टाचार और उनके बड़बोलेपन के खिलाफ माहौल बनाने में योग जरूर दिया। दिल्ली की सूरत बदलने वाली शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित ने खुलेआम मोर्चा खोल रखा था। उन्होंने कहा था कि अपनी मां के अपमान का बदला वे जरूर लेंगे। संदीप खुद केजरीवाल के खिलाफ नई दिल्ली सीट से मैदान में उतरे और केजरीवाल की हार की पटकथा लिखने में मदद की। कांग्रेस ने भी मान लिया है कि उसका असली दुश्मन भारतीय जनता पार्टी की बजाय आम आदमी पार्टी है। इसलिए उसने अपना सारा ध्यान आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार और उसके खिलाफ रहा। केजरीवाल के शीश महल का सवाल भले बीजेपी ने उठाया, लेकिन जिस आबकारी नीति घोटाले में केजरीवाल जेल गए थे, उसका भंडाफोड़ कांग्रेस के नेता अजय माकन ने ही किया था। जनता के बीच वे सादगी के साथ आए थे, इसलिए लोगों को उनका शीश महल स्वीकार नहीं हुआ। केजरीवाल ने चुनाव के आखिरी वक्त में एक और गलती कर दी। उन्होंने यह कहकर बीजेपी पर हमला बोला कि उसकी हरियाणा सरकार ने यमुना के पानी में जहर मिला दिया है ताकि दिल्ली वालों का नुकसान हो। इस बात को जनता स्वीकार नहीं कर पाई। जनता ने माना कि केजरीवाल का भी यह भी एक बहाना है, उस वायदे को ढकने के बहाना है, जिसके तहत उन्होंने यमुना को पांच साल में साफ करने और उसमें नहाने का वादा किया था।

दिल्ली में राजनीतिक माहौल बदल चुका है। अब बीजेपी के सामने जिम्मेदारियों की लंबी लिस्ट है। उस-की जिम्मेदारी है कि वह राजधानी को खुशहाल ही नहीं, पर्यावरण अनुकूल और साफ भी बनाए। के-जरीवाल के लिए यह चिंतन का वक्त है। उनका गढ़ भी छिन गया है और सेनापति भी नहीं रहे। ऐसे में सेना का उठ खड़ा होना आसान नहीं, वे उठ पाएंगे या नहीं, उनकी राजनीति में बदलाव आएगा या नहीं, यह तो वक्त ही बता पाएगा।

घूँघट की बगावत

09 फरवरी 2025

प्रत्येक रविवार को प्रकाशित
हिन्दी साप्ताहिक समाचार पत्र

दिल्ली में भाजपा ने जीत की नई इबारत लिखी

दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए न केवल 27 साल के वनवास को खत्म करने में कामयाब हुई है बल्कि देश की राजधानी को एक नया विश्वास, नया जोश एवं गुड गर्वनेंस का भरोसा दिलाने को तत्पर हो रही है। निश्चित ही चुनाव मोदी के नाम पर लड़े गये और दिल्ली की जनता ने मोदी पर भरोसा जताया है। एक बार फिर मोदी का जादू चला एवं उनके करिश्माई राजनीतिक व्यक्तित्व ने नया इतिहास रचा है। दिल्ली में भाजपा ने जीत की नई इबारत लिखी है। दिल्ली में 11 साल के बाद डबल इंजन की सरकार बनने से दिल्ली की बुनियादी समस्याओं का हल होते हुए दिख रहा है, बल्कि दिल्ली के विकास की नई गाथा लिखे जाने की शुभ शुरूआत हो रही है। अब दिल्ली में न केवल वायु प्रदूषण दूर होगा, बल्कि यमुना नदी का प्रदूषण दूर करते हुए उसका कायाकल्प किया जायेगा। चुनाव परिणामों में आम आदमी पार्टी चुनाव को जिस तरह की हार का सामना करना पड़ा है उससे आप सिर्फ सत्ता से ही बेदखल नहीं हो रही बल्कि आप एवं के-जरीवाल के राजनीतिक जीवन पर भी ग्रहण लगता हुआ दिखाई दे रही है। कांग्रेस के लिये भी अपनी राजनीतिक जमीन बचाने एवं सत्ता में वापसी का सपना बूरी तरह पस्त हो गया है।

दिल्ली की लगभग सभी सीटों पर मतदाताओं ने सुशासन, भ्रष्टाचार मुक्ति, विकास एवं मुक्त की सुविधाओं के नाम पर वोट डाले हैं। दिल्ली में मुस्लिम बहुल इलाके हों, गांधी नगर जैसे कारोबारी क्षेत्र हों या फिर पूर्वी दिल्ली का पटपड़गंज हो, या मुस्तफाबाद जैसे पिछडे. इलाके सभी जगहों पर आप को करारा झटका लगा है। हिन्दुत्व की ताकत, राष्ट्रीय स्वयंसेवक एवं भाजपा की सुनियोजित चुनाव रणनीति ने भाजपा को जीत दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मोदी-शाह की जोड़ी ने करिश्मा कर दिखाया है। आप एवं कांग्रेस के दिग्गज नेताओं की हार ने तय किया कि राजनीति में राजशाही सोच, अहंकार एवं बड़बोलापन कामयाब नहीं है। दिल्ली के विकास मॉडल को पूरे देश में केजरीवाल सर्वश्रेष्ठ बताते रहे हैं, उसी दिल्ली की दुर्दशा, उससे जुड़े झूठे बयानों एवं तथ्यों के कारण आप हारी है।. इस तरह केजरीवाल की राजनीति पर मतदाताओं ने सवालिया निशाने लगा दिये हैं। केजरीवाल के लिये इन चुनाव परिणाम के बाद संकट के पहाड़ खड़े होने वाले है।

जिस अन्ना आंदोलन से अरविंद केजरीवाल का नाम पूरे देश में सामने आया। केजरीवाल ने उन्हीं अन्ना को नकार दिया था। दिल्ली चुनाव के रुझानों पर अन्ना हजारे ने कहा कि मैं बार-बार बताता गया, लेकिन उनके दिमाग में नहीं आया और वे शराब को ले आए। शराब यानी धन-दौलत से वास्ता हो गया। अन्ना ने कहा कि चुनाव लड़ते समय उम्मीदवार को आचार शुद्ध होना, विचार शुद्ध होना, जीवन निष्कलंक और त्याग होना जरूरी है। अगर ये गुण उम्मीदवार में हैं तो मतदाताओं को उन पर विश्वास होता है। लेकिन केजरीवाल एवं आप के उम्मीदवारों में ये गुण दूर-दूर तक दिखाई नहीं देते हैं, यही आप की करारी हार का कारण बना है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल की परिस्थितियों

में बड़ी समानता रही हैं, पर हेमंत की तरह केजरीवाल दिल्ली की जनता का दिल जीतने में नाकामयाब रहे। दिल्ली में आप की हार केजरीवाल के लिए एक बड़ा व्यक्तिगत झटका है, जिससे राजनीति में उनके भविष्य को लेकर सवाल उठने लगे हैं। दिल्ली का असर पंजाब की सियासत पर भी पड़ेगा। इसके अलावा राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी के विस्तार को लेकर अरविंद केजरीवाल की योजना धुंधली पड़ जायेगी। इंडिया गठबंधन के जो दल कांग्रेस के बजाय आम आदमी पार्टी के साथ खड़े थे, वो फिर से दूरी बनाते नजर आएंगे।

इन चुनाव परिणामों ने कांग्रेस को भी आइना दिखा दिया है। उसने जिस तरह से भारत की ह्यसर्वजन हिताय सर्वजन सुखायह्ण की भावना को दबाया, सनातन परंपरा को दबाया एवं मोदी विरोध के नाम पर देश-विरोध पर उतर आयी, यही मूल्यहीन राजनीति उसकी हार का कारण बनी। अनेक वर्षों तक दिल्ली पर राज करने वाली कांग्रेस सत्ता में वापस आने के लिए इतनी बेचैन दिखाई दी कि वो हर दिन नफरत, द्वेष एवं घृणा की राजनीति करती रही है। कांग्रेस सांप्रदायिकता और जातिवाद के विष को दिल्ली चुनाव में भी उडेला। हिंदू समाज को तोड़ना और उसे अपनी जीत का फॉर्मूला बनाना ही कांग्रेस की राजनीति का आधार बना और यही उसको रसातल में ले जाने का बड़ा कारण बना है। कांग्रेस की जातिगत जणगणना की मांग भी उसकी विभाजनकारी नीति को ही दशार्ती रही है, जो उसके हार को सुनिश्चित करने का बड़ा कारण बना। एक राष्ट्रीय दल, सबसे पुराना दल, पांच दशकों तक देश पर शासन करने एवं दिल्ली में लगातार तीन बार सत्ता में रहने वाले दल को एक-दो सीटों पर ही उसकी जीत होना उसकी हास्यास्पद एवं लगातार कमजोर होने की स्थितियों को ही दर्शा रहा है।

दिल्ली में कांग्रेस के तेवरों से साफ है कि मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने से रोकने में नाकामी के बाद उसने शायद अपने पुनरुत्थान के लिये दिल्ली के चुनाव को आधार बना लिया था, इसमें कोई बुराई नहीं, पर यह काम आसान नहीं रहा, कांग्रेस के सपने टूट कर बिखर गये। कांग्रेस की दिल्ली में दुर्दशा ने लगभग तय कर दिया है कि मतदाता की नजरों में उसकी क्या अहमियत है? कांग्रेस ने न केवल खुद को बल्कि इंडिया गठबंधन को भी जर्जर बना दिया है। यह एक पुरानी कहावत है कि देश जैसी सरकार के योग्य होता है, वैसी ही सरकार उसे प्राप्त होती है। दिल्ली में भी ऐसी ही सरकार बनने जा रही है, जो दिल्ली के हितों को प्राथमिकता देगी। दिल्ली में बीजेपी की जीत हुई, वह अधिक मजबूत होकर उभरी है, मोदी एवं भाजपा के प्रति जनता का विश्वास बढ़ा है। इसका असर बिहार के चुनाव में भी सकारात्मक होता हुआ दिख रहा है। राजशाही के विपरीत लोकतन्त्र में जनता के पास ही उसके एक वोट की ताकत के भरोसे सरकार बनाने की चाबी रहती है और ऐसा दिल्ली में होता हुआ दिखा है। दरअसल, जनता के हाथ की इस चाबी को अपने पक्ष में घुमाने एवं जीत का ताला खोलने के लिये यह मुफ्त की संस्कृति, विभाजनकारी राजनीति एवं सनातन-विरोधी स्वर ने आप एवं कांग्रेस को औंधे मुंह गिरा दिया है, इस गिरावट से उभरने की संभावनाएं भी दोनों दलों के लिये एक बड़ी चुनौती है।

दिल्ली के चुनाव एक महायुद्ध था, जो कितने ही मुद्दों को अपने में समेटे हुए रहा। यह अनेक नेताओं एवं दलों के अस्तित्व को बचाने का भी महासंग्राम था। चुनाव में जब सेवा-सुशासन का मूल उद्देश्य गायब हो जाता है, केवल दलगत स्वार्थ और सत्ता प्राप्ति की होड़ मुख्य हो जाती है तब दिल्ली जैसे अप्रत्याशित परिणाम ही सामने आते हैं। राजनीति में केजरीवाली प्रवृत्ति एक नई संस्कृति का स्थान लेती रही है, जिसने हमारे सभी नैतिक मूल्यों को तार-तार कर दिया था, बहुत चर्चा होती रही है कि दिल्ली के विकास में अनेक सुराख हो गये हैं, लोगों का सांस लेना दुश्वार हो रहा था तो यमुना प्रदूषित हो गयी थी, सड़के खड्डों में तब्दील हुई तो चिकित्सा-शिक्षा व्यवस्था चरमराई। इसलिए दिल्ली के जीवन को खतरा था। दिल्ली में ऐसे सुराख (ब्लैक होल) हो गये थे, जहां नेता पाप करके छुपते रहे हैं। आप नेताओं के दिमाग में सुराख ही सुराख हो गये थे, जिससे मवाद टपकता दिखाई देता था। ये सब स्थितियां दिल्ली को अच्छे भविष्य की ओर नहीं ले जा रही थी, दिल्ली जब कीचड़ में थी, तब आप एवं उसके नेता एक कदम आगे बढ़ने के प्रयास में दो कदम पीछे फिसलते रहे। स्थितियों की इसी विपरीतता ने दिल्ली की जनता को जगाया, एक-एक व्यक्ति दिल्ली के व्यापक हित को अपने हित से ऊपर समझते हुए भाजपा को जीत का सेहरा बांधा है। निश्चित ही दिल्ली में नये सूरज का अवतरण हुआ है, और उसका भविष्य शुभ एवं श्रेयस्कर दिखाई दे रहा है।

ललित गर्ग

जनता के बीच असंतोष और बदलाव की इच्छा बढ़ी

दिल्ली में आम आदमी पार्टी का किला बुरी तरह ढ़ह गया है। आतिशी को छोड़कर पार्टी के लगभग तमाम दिग्गज नेता चुनाव हार गए और आप ने इस बार दिल्ली विधानसभा चुनावों में अपना सबसे खराब प्रदर्शन किया। 2015 में आम आदमी पार्टी ने 67 सीटें जीती थी लेकिन 2020 में यह संख्या घटकर 62 रह गई थी। वहीं, भाजपा ने 2015 में मात्र 3 सीटें जीती थी जबकि 2020 में 8 सीटें जीतने में सफल हुई थी और बंपर जीत के साथ पूरे 27 सालों बाद अब दिल्ली में सरकार बनाने में सफल हुई है। 27 साल पहले भाजपा की सुषमा स्वराज आखिरी बार कुल 52 दिन के लिए दिल्ली की मुख्यमंत्री रही थी और अब 27 साल बाद दिल्ली में भाजपा की सत्ता में बड़ी वापसी हुई है। भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से निकली आम आदमी पार्टी पर घोटाले के गंभीर आरोप लगे थे और यह विधानसभा चुनाव इस बार आम आदमी पार्टी के लिए नाक का बहुत बड़ा सवाल था लेकिन भाजपा ने आम आदमी पार्टी को दिल्ली में जीत का चौका लगाने से रोक दिया। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि आखिर आम आदमी पार्टी की इतनी बड़ी हार के पीछे क्या प्रमुख कारण रहे और क्यों पार्टी की राजनीतिक स्थिति इतनी कमजोर हुई? दिल्ली में आप सरकार ने करीब एक दशक तक शासन किया और लंबे समय तक सत्ता में रहने के कारण जनता के बीच असंतोष और बदलाव की इच्छा बढ़ी थी। विभिन्न क्षेत्रों में विकास कार्यों की कमी, बुनियादी सुविधाओं की अनदेखी और वादों को पूरा न करने के आरोपों ने सत्ता विरोधी लहर को मजबूत किया, जिसके परिणामस्वरूप मतदाताओं ने विकल्प के रूप में भाजपा की ओर रुख किया। अरविंद केजरीवाल ने यमुना को साफ करने, दिल्ली की सड़कों को पेरिस जैसा बनाने और साफ पानी उपलब्ध कराने जैसे जो तीन प्रमुख वादे दिल्ली की जनता से किए थे, वे एक दशक में भी पूरे नहीं हुए। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, सांसद संजय सिंह इत्यादि पार्टी के शीर्ष नेताओं पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों और उनकी गिरफ्तारी ने पार्टी की छवि को गंभीर नुकसान पहुंचाते हुए आप की भ्रष्टाचार विरोधी छवि को कमजोर किया। इन घटनाओं ने पार्टी की स्वच्छ राजनीति के दावे पर सवाल खड़े किए और जनता के विश्वास को कमजोर किया। खासतौर से केजरीवाल की गिरफ्तारी और बाद में उनके इस्तीफे के कारण पार्टी के नेतृत्व में अस्थिरता आई और के-जरीवाल की विश्वसनीयता में बड़ी कमी आई। केजरीवाल ने हमेशा से वीआईपी कल्चर पर सवाल उठाए थे लेकिन शीशमहल के मुद्दे पर वे स्वयं ह्यवीआईपी कल्चरह्ण के मुद्दे पर बुरी तरह घिर गए थे, भाजपा-कांग्रेस ने इस मुद्दे को लेकर आप को घेरने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। राजनीति में आने से पहले केजरीवाल ने कहा था कि वो वीवीआईपी कल्चर को खत्म करेंगे, गाड़ी, बंगला और सुरक्षा लेने की बात से भी उन्होंने इनकार किया था लेकिन सत्ता मिलने के बाद उन्होंने लग्जरी गाड़ियां तो ली ही, केंद्र से जेड प्लस सुरक्षा मिलने के बावजूद पंजाब सरकार की शीर्ष सुरक्षा भी ली। पार्टी के भीतर आंतरिक कलह और नेतृत्व के मुद्दों ने भी आप की हार में बड़ा योगदान दिया। कई वरिष्ठ नेताओं के पार्टी छोड़ने या निष्क्रिय होने से संगठनात्मक ढ़ांचे में कमजोरी आई। इसके अलावा नेतृत्व के प्रति असंतोष और निर्णय लेने में पारदर्शिता की कमी ने कार्यकताओं और समर्थकों के मनोबल को प्रभावित किया। आप सरकार ने बिजली, पानी और अन्य सुविधाओं में मुफ्त सेवाओं की घोषणा की थी लेकिन विपक्ष ने इसे ह्यरेवड़ी संस्कृतिह्ण कहकर आलोचना करते हुए इसे आर्थिक रूप से अव्यवहारिक बताया। इसके अलावा, इन योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन में आई समस्याओं ने जनता के बीच नकारात्मक धारणा बनाई, जिससे आप की लोकप्रियता में गिरावट आई। दिल्ली में सड़क, परिवहन और स्वच्छता के क्षेत्रों जैसे बुनियादी ढ़ांचे के विकास में अपेक्षित प्रगति नहीं हो पाई। इसके अलावा प्रदूषण, जलभराव और कूड़े के ढ़ेर जैसी समस्याओं का समाधान नहीं होने से जनता में केजरीवाल सरकार के प्रति नाराजगी बढ़ी थी। इन मुद्दों पर सरकार की निष्क्रियता ने मतदाताओं को निराश किया। दिल्ली में आप की लोकप्रियता का सबसे बड़ा कारण मुफ्त बिजली-पानी जैसी योजनाओं को माना जाता रहा लेकिन चुनाव के दौरान भाजपा ने भी आप वाला ही दांव खेला और अपने चुनावी संकल्पों में महिलाओं, बच्चों व युवाओं से लेकर ऑटो रिक्शा चालकों तक के लिए बड़ी-बड़ी घोषणाएं तो की ही, साथ ही यह ऐलान भी किया कि वह सत्ता मिलने पर आप द्वारा चलाई जा रही तमाम योजनाओं को जारी करेगी। भाजपा की इन घोषणाओं से आप की चुनौती बहुत बढ़ गई थी। विपक्ष और खासकर भाजपा की मजबूत रणनीति तथा भाजपा का मुखर प्रचार आप के लिए सबसे बड़ी चुनौती बना। भाजपा ने आप सरकार की तमाम कमजोरियों को उजागर करने में सक्रिय भूमिका निभाई। कांग्रेस ने भी इस तरह टिकट बांटे, जिसने कई सीटों पर आप को आसान जीत से रोकने में अहम भूमिका निभाई। भ्रष्टाचार, विकास की कमी और अन्य मुद्दों पर केंद्रित अभियानों ने जनता के बीच आप के प्रति नकारात्मक धारणा बनाई। भाजपा ने सामाजिक और धार्मिक मुद्दों को भी पुरजोर तरीके से उठाया, जिससे आप के समर्थन में बड़ी कमी आई। चुनाव से पहले कांग्रेस और आप के बीच गठबंधन की चचार्एं थी लेकिन हरियाणा विधानसभा में दोनों के बीच गठबंधन नहीं होने के कारण दिल्ली में भी दोनों दलों के बीच गठबंधन नहीं हो सका, जिसके चलते विपक्षी मतों का विभाजन हुआ और इसका सीधा लाभ भाजपा को मिला। कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करने के फैसले ने आप की रणनीतिक कमजोरी को उजागर किया और विपक्षी एकता की कमी का स्पष्ट संकेत दिया। इसका भी दिल्ली के मतदाताओं पर विपरीत प्रभाव पड़ा। पिछले दो विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने एक भी सीट नहीं जीती थी। 2015 में कांग्रेस को 9.7 प्रतिशत मत मिले थे लेकिन 2020 में मतों का प्रतिशत गिरकर महज 4.3 फीसद रह गया था लेकिन इस बार कांग्रेस के मत प्रतिशत में जो बढ़ोतरी हुई है, उसका नुकसान भी आप को भुगतना पड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी हर चुनावी सभा में आप को ऐसी आपदा करार देते हुए भाजपा कार्यकताओं में जोश भरने का भरपूर प्रयास किया, जिसने जनता के फायदे के लिए मिलने वाली केंद्र की प्रत्येक जनकल्याणकारी योजना को दिल्ली में लागू नहीं होने दिया, उससे मतदाताओं के बीच आप की छवि पर विपरीत प्रभाव पड़ा और प्रधानमंत्री के आपदा वाले नारे से भाजपा कार्यकताओं का जोश कई गुना बढ़ा। दिल्ली की आबादी में पूर्वांचल (बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड) से आए लोगों की महत्वपूर्ण हिस्सेदारी है और विपक्ष ने इस समुदाय की समस्याओं को नजरअंदाज करने के आरोप लगाते हुए आप सरकार को इस मुद्दे पर घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी। छठ पूजा के दौरान यमुना नदी में जहरीले झाग की समस्या, आयुष्मान भारत योजना को दिल्ली में लागू नहीं होने देना, बुनियादी सुविधाओं की कमी जैसे मुद्दों ने पूर्वांचली समुदाय में असंतोष बढ़ाया। इस उपेक्षा के कारण इस समुदाय का समर्थन आप से हटकर अन्य दलों की ओर गया और इसका नुकसान आप को भुगतना पड़ा। बहरहाल, केजरीवाल का दावा था कि वे राजनीति में नैतिकता और शुचिता की राजनीति करने आए हैं लेकिन उन्होंने दूसरे राज्यों के चुनावों में जिस तरह से पैसा खर्च किया और दिल्ली में कोरोना काल के दौरान करोड़ों रुपये खर्च कर जो ह्यशीशमहलह्ण बनवाया, उसे लेकर उन पर लगातार लगते रहे आरोपों का पार्टी के पास ही कोई कारगर जवाब नहीं था। देश को भ्रष्टाचार मुक्त करने के बड़े-बड़े दावों के बीच शराब घोटाले जैसे भ्रष्टाचार के छींटे, केजरीवाल की तानाशाहीपूर्ण नेतृत्व शैली, उनका अड़ियल रवैया, इस तरह की बातों से मतदाताओं का केजरीवाल से मोहभंग होता गया और भाजपा एक मजबूत विकल्प के रूप में उभरती गई।

दिल्ली चुनाव के दौरान संविधान खतरे में है वाला कार्ड नहीं चल पाया

आम आदमी पार्टी की हार के बाद असम की असम गण परिषद की याद आती है। वर्ष 1985 में परिषद भी आम आदमी पार्टी की तरह आंदोलन से उभरी थी और महज दो कार्यकाल के बाद ही वह अपने अस्तित्व को बचाने के लिए छटपटाने लगी। उसके प्रमुख नेताओं प्रफुल्ल कुमार महंत और भृगु फुकन के अहं का टकराव उसके अस्तित्व पर सवाल बनकर खड़ा हो गया, जबकि यहां अरविंद केजरीवाल का एकाधिकार आप की मुसीबत बन गया।

दिल्ली के चुनाव नतीजों में कांग्रेस के हाथ एक बार फिर शून्य ही लगा। उसे पिछली बार की तुलना में महज दो प्रतिशत से कुछ ज्यादा ही वोट हासिल हुए हैं। इस बार कांग्रेस को 6.48 प्रतिशत वोट मिले। इस-के बावजूद कांग्रेस के आक्रामक रुख ने केजरीवाल विरोधी माहौल बनाने में बड़ी मदद की। दिल्ली कांग्रेस की नेता अलका लांबा के बयान को इस संदर्भ में देखा जा सकता है।

उन्होंने केजरीवाल की हार पर कहा कि दिल्ली में उनका नुकसान हुआ है, जिन्होंने दिल्ली का नुकसान किया। चुनाव नतीजों ने केजरीवाल के उस बयान का भी जवाब दिया, जिसमें उन्होंने उन्हें हराने के लिए नरेन्द्र मोदी को दूसरा जन्म लेने की चुनौती दी थी। तीन बार से देश जीत रहे मोदी के लिए दिल्ली प्रश्न प्रदेश बना हुआ था, लेकिन 2025 के वसंत में दिल्ली की जनता ने उन्हें सुगंधित विजय का उपहार दिया।

इस जीत में कांग्रेस का परोक्ष हवन भी शामिल है। पता नहीं इतिहास में उसे शामिल किया जाएगा या नहीं? हालांकि यह साफ है कि दिल्ली चुनाव के दौरान संविधान खतरे में है वाला कार्ड नहीं चल पाया, फिर भी विपक्ष और खासकर कांग्रेस संविधान के मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरने से शायद ही बाज आए, क्योंकि राहुल गांधी एक बार जो ठान लेते हैं, उस पर अड़े ही रहते हैं। भले ही उससे वांछित नतीजे न मिलें।

अरविंद केजरीवाल ने कुछ समय पहले कहा था कि वह विपक्षी दलों के मोर्चे आइएनडीआइए से कांग्रेस को बाहर करने की मांग करेंगे। पता नहीं अब वह ऐसी मांग कर पाएंगे या नहीं, लेकिन इतना तय है कि आम आदमी पार्टी की दिल्ली में हार का असर गठबंधन की एकजुटता पर भी पड़ेगा, जो पहले से ही कमजोर दिख रही है। हम इसकी अनदेखी नहीं कर सकते कि अखिलेश यादव, ममता बनर्जी और शरद पवार आदि ने दिल्ली में कांग्रेस के बजाय आप का साथ देना पसंद किया था। ऐसा करके उन्होंने एक तरह से कांग्रेस को चिढ़ाने का ही काम किया था, क्योंकि सपा, तृणमूल कांग्रेस और एनसीपी (शरद पवार) का दिल्ली में कोई जनाधार नहीं। आम आदमी पार्टी की हार के बाद असम की असम गण परिषद की याद आती है। वर्ष 1985 में परिषद भी आम आदमी पार्टी की तरह आंदोलन से उभरी थी और महज दो कार्यकाल के बाद ही वह अपने अस्तित्व को बचाने के लिए छटपटाने लगी। उसके प्रमुख नेताओं प्रफुल्ल कुमार महंत और भृगु फुकन के अहं का टकराव उसके अस्तित्व पर सवाल बनकर खड़ा हो गया, जबकि यहां अरविंद केजरीवाल का एकाधिकार आप की मुसीबत बन गया। देखना होगा कि आम आदमी पार्टी असम गण परिषद की नियति को प्राप्त होती है या फिर अपने लिए कोई नई राह तलाशती है। हैरानी नहीं कि आम आदमी पार्टी के भीतर से केजरीवाल के नेतृत्व को चुनौती मिले। यह चुनौती पंजाब में मिल सकती है। दिल्ली के मुकाबले पंजाब पूर्ण राज्य है। वहां के आम आदमी पार्टी के नेता यह कह सकते हैं कि आखिर वे ऐसे नेता के नेतृत्व के अधीन क्यों रहें, जो न अपनी सीट बचा सका और न ही सरकार। हर चुनाव नतीजे एक तरफ जहां भावी राजनीति के संकेत देते हैं, वहीं कुछ मुद्दों पर राजनीतिक दलों के रुख पर लोक की राय भी जाहिर करते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों में भी ऐसे कई संकेत छिपे हुए हैं। इन नतीजों से स्पष्ट हुआ कि संविधान की दुहाई देने वाले दलों की ओर से भाजपा पर संविधान बदलने या उसकी अनदेखी करने का दुष्प्रचार नहीं चलने वाला। इस दुष्प्रचार का एकमात्र उद्देश्य दलित-पिछड़ों को भाजपा से दूर करना है। दिल्ली का नतीजा बता रहा कि कांग्रेस इसमें कामयाब नहीं हो पाई। राजधानी में आरक्षित सीटों में से एक तिहाई सीटों पर भाजपा और करीब दो तिहाई सीटों पर आम आदमी पार्टी की सफलता में भी एक संदेश छिपा हुआ है। कांग्रेस को इस संदेश पर गौर करना होगा, क्योंकि राहुल गांधी की अगुआई में कांग्रेस हरसंभव मंच पर संविधान की प्रति लहराते हुए मोदी सरकार में संविधान को खतरे में बताते हुए खुद को संविधान की सबसे बड़ी रक्षक और पैरोकार के रूप में प्रस्तुत करती है। दिल्ली चुनाव में आरक्षित सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशियों को समर्थन न मिल पाना जाहिर करता है कि आंबेडकर को पूजने वाले दलित समाज में उसका यह नया नैरेटिव नहीं चल पा रहा। दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों में से 12 आरक्षित हैं। इनमें से आठ पर जहां आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार विजयी हुए, वहीं चार पर भाजपा जीती। नरेन्द्र मोदी के उभार के बाद संसद की आरक्षित सीटों में सर्वाधिक सीटों पर भाजपा को जीत मिलती रही। वहीं, अगर मुस्लिम प्रभाव वाली सीटों की बातें करें तो दिल्ली में ऐसी करीब एक दर्जन सीटें हैं।

इनमें से जंगपुरा से पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की भाजपा के हाथों हार से साफ है कि मुस्लिम बहुल सीटों पर अतीत की तरह आप का एकतरफा जादू नहीं चला। जंगपुरा के अलावा भाजपा मुस्तफाबाद और करावल नगर में भी जीत गई। जबकि चांदनी चौक, बाबरपुर, बल्लीमारान, मटियामहल, सीलमपुर, सीमापुरी और किराड़ी में आप के प्रत्याशी जीते।

भतीजी की शादी में शामिल हुए योगी

देहरादून। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दो दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड में है। योगी पौड़ी गढ़वाल जिले में स्थित अपने पैतृक गांव पंचूर में रुके हुए हैं। वह अपनी भतीजी की शादी में शामिल होने आए हैं। ॥ अपने बडे भाई की बेटी अर्चना बिष्ट की शादी में शामिल होने पैतृक गांव आए सीएम योगी अपने घर में ही रुके। सीएम योगी घर के शादी के सभी कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं। गत शुक्रवार को वह वहीं से उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ की तमाम व्यवस्थाओं का भी अपडेट लेते रहे।

बताते चला जाए कि घर के जिस कमरे में सीएम योगी रुके थे, उसी कमरे में उनका बचपन भी बीता है। भतीजी की हल्दी मेहंदी की रस्म से लेकर शादी के सभी कार्यक्रमों में सीएम योगी बेहद सादगी भरे अंदाज में दिखे। सभी मेहमानों का उन्होंने अभिवादन स्वीकार किया और बारात के मांगलिक कार्यक्रमों में वह शामिल भी होते रहे। गत दिनों शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यानाथ अपने स्टाफ के साथ सुबह गांव में घूमने निकले।

घरेलू काम को सामाजिक रूप से महत्त्व दिया जाए और उचित पारिश्रमिक दिया जाए, कानून में सम्मानजनक कार्य स्थितियों की भी आवश्यकता हो सकती है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना और प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन योजना जैसे कार्यक्रमों को ध्यान में रखते हुए, घरेलू कामगारों के लिए एक विशिष्ट कानूनी ढांचा बनाया जाना चाहिए। इससे कार्यस्थल पर बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित होगी, न्यूनतम वेतन लागू होगा और आवश्यक सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाएगी। शक्ति असमानताओं के समाधान, काम करने की स्थितियों में सुधार और अंततः उनकी आर्थिक स्थिरता और मानवीय गरिमा की उन्नति के माध्यम से, यह कानून घरेलू कामगारों को सशक्त बनाएगा।

भारत के घरेलू कामगार: क्यों है दरकिनार?

भारत में, घरेलू कामगारों में से अधिकांश महिलाएँ हैं, जो असंगठित श्रम शक्ति का एक बड़ा हिस्सा हैं। हाल के अनुमानों के अनुसार, घरेलू कामगारों की संख्या आधिकारिक अनुमानों 4.2 मिलियन से लेकर अनौपचारिक अनुमानों 50 मिलियन से अधिक तक भिन्न है। जनवरी 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने घरेलू कामगारों के व्यापक शोषण और उनके लिए कानूनी सुरक्षा की कमी की ओर ध्यान आकर्षित किया और केंद्र सरकार को उनके अधिकारों की रक्षा के लिए एक अलग कानून पारित करने की संभावना की जाँच करने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को घरेलू कामगारों के लिए एक अलग कानून बनाने का आदेश दिया। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम और समान पारिश्रमिक अधिनियम, अन्य श्रम कानूनों के अलावा, घरेलू कामगारों पर लागू नहीं होते हैं। एक अलग कानून संगठित विनियमन की पेशकश कर सकता है। क्योंकि कोई आधिकारिक ढांचा नहीं है, घरेलू कामगार अक्सर बिना किसी निर्धारित वेतन के काम करते हैं और मनमाने व्यवहार के अधीन होते हैं।

नियोक्ता अपने घरों को "कार्यस्थल" या खुद को "नियोक्ता" नहीं मानते हैं, जिससे घरेलू काम मुख्य रूप से अनौपचारिक और अनियमित हो जाता है। चूँकि उनके काम आधिकारिक रूप से दर्ज नहीं हैं, इसलिए श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा या न्यूनतम मजदूरी जैसे बुनियादी अधिकार नहीं दिए जा सकते हैं। घरेलू काम में नियोजित लोगों में अब महिलाएँ सबसे ज्यादा हैं, जिसे समाज में नारीकृत और कम आंका जाता है। लिंग के आधार पर इस असमानता को एक विशेष कानून द्वारा सम्बोधित किया जा सकता है। सामाजिक अवमूल्यन के कारण, महिलाओं को अक्सर पुरुषों की तुलना में घरेलू काम के लिए कम भुगतान किया जाता है। घरेलू काम की स्थितियाँ क्षेत्र के अनुसार अलग-अलग होती हैं। एक प्रतिबद्ध कानून क्षेत्रीय मुद्दों और समाधानों को ध्यान में रख सकता है। केरल और दिल्ली में विनियमों ने विभिन्न तरीकों से मजदूरी दरों और रोजगार पंजीकरण जैसे क्षेत्रीय मुद्दों को सम्बोधित करने का प्रयास किया है। श्रमिकों के अधिकारों को बनाए रखने और उल्लंघन की स्थिति में कानूनी सहारा देने के लिए स्पष्ट प्रक्रियाएँ एक अलग कानून द्वारा अनिवार्य की जा सकती हैं।

रोजगार के दस्तावेजों के बिना, घरेलू कामगारों को अपना वेतन प्राप्त करना मुश्किल हो सकता है, जिसके परिणामस्वरूप शोषण हो सकता है। कम वेतन के माध्यम से भारत में घरेलू कामगारों का शोषण उनकी चुनौतियों में से एक है। घरेलू कामगारों को अक्सर जो कम वेतन मिलता है, वह उनके द्वारा किए जाने वाले श्रम की मात्रा के लिए अपर्याप्त होता है। न्यूनतम मजदूरी विनियमन की अनुपस्थिति इस समस्या को और भी बदतर बना देती है। मुंबई के घरेलू कामगारों को लंबे कार्यदिवसों के बावजूद अपने बुनियादी जीवन-यापन के खर्चों को पूरा करने में संघर्ष करना पड़ सकता है, अगर उनका वेतन न्यूनतम वेतन से कम हो जाता है। उत्पीड़न या अनुचित व्यवहार से कानूनी सुरक्षा की कमी के कारण, घरेलू कामगार विशेष रूप से दुर्व्यवहार के लिए अतिसंवेदनशील होते हैं। दिल्ली के कर्मचारी को शारीरिक या मौखिक दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन चूंकि कोई औपचारिक अनुबंध नहीं है, इसलिए उन्हें कोई कानूनी सुरक्षा नहीं है।

चूंकि घरेलू काम निजी घरों में किया जाता है, इसलिए नियम और जटिल हो जाते हैं और नियोक्ताओं और कर्मचारियों के बीच शक्ति का अंतर बढ़ जाता है। चूंकि कर्मचारियों को अक्सर चेतावनी के बिना छोड़ दिया जाता है, इसलिए इनकी नौकरी की सुरक्षा का अभाव है, जो वित्तीय अस्थिरता को बढ़ाता है। सेवा के वर्षों के बाद, किसी कर्मचारी को अचानक बिना वेतन के निकाल दिया जा सकता है, जिससे उन्हें वित्तीय सहायता या कानूनी विकल्प नहीं मिलते। चूंकि घरेलू काम को "महिलाओं के काम" के रूप में सामाजिक रूप से कम आंका जाता है और अक्सर हाशिए के समुदायों से जोड़ा जाता है, इसलिए यह श्रमिकों को आवाजहीन और अदृश्य बना देता है। ग्रामीण प्रवासी महिलाओं को सामाजिक कलंक का सामना करना पड़ सकता है और उन्हें कानूनी कर्मचारी के रूप में स्वीकार किए जाने के लिए संघर्ष करना पड़ सकता है। एक विशिष्ट कानूनी ढांचा कमजोरियों से निपटने में मदद कर सकता है। एक विशिष्ट कानून न्यूनतम मजदूरी निर्धारित कर सकता है, यह गारंटी देते हुए कि श्रमिकों को उनके काम के घंटों और कर्तव्यों के अनुरूप उचित मुआवजा मिले।

एक राष्ट्रीय कानून सभी राज्यों में श्रमिकों के लिए एक समान न्यूनतम मजदूरी स्थापित कर सकता है, यह गारंटी देते हुए कि खाना पकाने, सफाई करने और देखभाल करने से जुड़े कामों का लगातार भुगतान किया जाता है। शिकायतों के समाधान की प्रक्रियाओं के साथ, एक अच्छी तरह से परिभाषित कानूनी ढाँचा कर्मचारियों को उत्पीड़न और दुर्व्यवहार से सुरक्षा प्राप्त करने में सक्षम बनाएगा। शोषण को रोकने और दुर्व्यवहार का विरोध करने के लिए श्रमिकों को कानूनी आधार प्रदान करने के लिए कानून रोजगार अनुबंधों को अनिवार्य बना सकता है। एक राष्ट्रीय ढाँचा स्वास्थ्य बीमा, पेंशन और अन्य सामाजिक लाभ प्रदान करके श्रमिकों की वित्तीय और स्वास्थ्य सुरक्षा में सुधार कर सकता है। केरल के श्रमिकों को वर्तमान में कुछ लाभ मिलते हैं, लेकिन राष्ट्रीय कानून भारत में सभी घरेलू श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा तक निरंतर पहुँच की गारंटी दे सकता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि दोनों पक्ष अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में जानते हैं और शोषण को रोकने के लिए, एक कानून नियोक्ताओं को अपने कर्मचारियों को पंजीकृत करने की आवश्यकता हो सकती है।

घरेलू श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करने वाले संघों ने समाप्ति को रोकने और आवश्यकता पड़ने पर कानूनी सहायता प्रदान करने के तरीके के रूप में पंजीकरण पर जोर दिया है। घरेलू कामगारों की सामाजिक मान्यता को बढ़ाते हुए, घरेलू कामगारों और देखभाल को एक विशिष्ट कानूनी ढाँचे द्वारा महत्त्व दिया जा सकता है और स्वीकार किया जा सकता है। यह सुनिश्चित करने के अलावा कि घरेलू काम को सामाजिक रूप से महत्त्व दिया जाए और उचित पारिश्रमिक दिया जाए, कानून में सम्मानजनक कार्य स्थितियों की भी आवश्यकता हो सकती है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना और प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन योजना जैसे कार्यक्रमों को ध्यान में रखते हुए, घरेलू कामगारों के लिए एक विशिष्ट कानूनी ढांचा बनाया जाना चाहिए। इससे कार्यस्थल पर बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित होगी, न्यूनतम वेतन लागू होगा और आवश्यक सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाएगी। शक्ति असमानताओं के समाधान, काम करने की स्थितियों में सुधार और अंततः उनकी आर्थिक स्थिरता और मानवीय गरिमा की उन्नति के माध्यम से, यह कानून घरेलू कामगारों को सशक्त बनाएगा।

डॉ. सत्यवान सौरभ,

भारतीयों के साथ मर्यादित व्यवहार हो : निर्मला पासवान

गोरखपुर (जीकेबी)। गत दिनों अमेरिका से 104 भारतीय नागरिकों के निवसिन के दौरान उनके साथ हुए कथित दुर्व्यहार के विरोध में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। टाउनहाल स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा स्थल से गोलघर स्थित इंदिरा गांधी की प्रतिमा स्थल तक निवर्तमान जिला कांग्रेस अध्यक्ष निर्मला पासवान ने हाथों में जंजीर बांध कर विरोध दर्ज कराया। कांग्रेसियों ने प्रधानमंत्री का इस्तीफा भी मांगा।

निर्मला पासवान ने कहा कि अमेरिका से निर्वासित भारतीयों को अमरीकी सैन्य विमान से अमृतसर लाया गया। विमान में उन्हें बेड़ियों में बांध कर रखा गया था। यह नागरिकों का नहीं बल्कि देश का अपमान है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जिस अमेरिकी राष्ट्रपति को अपना दोस्त बताते नहीं थकते वह निर्वासितों के साथ दुर्व्यवहार कर देश को नीचा दिखा रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री इसका विरोध नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस नेता तौकीर आलम ने कहा कि इस मुद्दे पर सरकार को स्पष्ट रुख अपनाना चाहिए। कहा कि यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भारतीय नागरिकों के साथ मर्यादित व्यवहार हो।

सुरक्षा और अस्तित्व के बीच मौज मस्ती करते पक्षियों का मनमोहक दृश्य

जटिल एवं जोखिम भरे सर्जरी के सफलतापूर्वक अंजाम ने चिकित्सकीय दक्षता को किया प्रमाणित

गोरखपुर (जीकेबी)।अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) सर्जरी विभाग के चिकित्सकों ने 61 वर्षीय एक बुजुर्ग महिला के पीठ में दोबारा पनपे 8 किलो के एक विशाल टज्मर (सारकोमा) की जटिल एवं जोखिम भरे सर्जरी को सफलतापूर्वक अंजाम देकर न केवल अपनी चिकित्सीय दक्षता साबित की अपितु हताश बुजुर्ग महिला को जीने की नई आस दे दी। पिछले महीने 21 जनवरी को गोरखपुर के कोनी गांव की रहने वाली 61 वर्षीय एक ऐसी बुजुर्ग महिला एम्स के सर्जरी विभाग के विभागाध्यक्ष डा. गौरव गुप्ता की ओपीडी में आयी जिसके पीठ मे 8 किलो का विशाल टज्मर(सारकोमा) था जिसे वह पिछले तीन वर्षों से पीठ पर ढो रही थी। इसके पहले वर्ष 2022 में लखनऊ में प्रथमबार पनपे टयूमर को हटाया गया था लेकिन तीन वर्षों के अंतराल में यह फिर से उभर आया और अत्यधिक बडक्ष हो गया। मरीज ने आपरेशन के लिए कई अस्पतालों का चक्कर काटा लेकिन अत्यंत जोखिम के चलते सबने नकार दिया। **एम्स गोरखपुर बना आखिरी उम्मीद:** मरीज को लेकर परिजन एम्स सर्जरी विभाग के विभागाध्यक्ष डा. गौरव गुप्ता की ओपीडी में पहुंचे। परीक्षण के उपरांत रोग की गंभीरता को देखते हुए डा. गुप्ता ने उसे भर्ती कर लिया और हाई-रिस्क सर्जरी की योजना बनाई गई। गत दिनों बुधवार को सर्जरी विभाग के विशेषज्ञों की टीम प्रो.ड़ा.गौरव गुप्ता एसोसिएट प्रोफेसर और उनकी टीम के सदस्यों ने मिलकर तीन घंटे तक चले इस जटिल आपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया।

भारत अपने पड़ोसी का साथ कभी नहीं छोड़ेगा

अभी बांग्लादेश जिस मझधार में फंसा हुआ है, उससे शायद ही जल्दी निकल पाए । यहां जिसको जहां मौका मिल रहा है, समान विचार के लोगों को पद पर बिठा दे रहा है, इसलिए उथल-पुथल अधिक है हालांकि, मोहम्मद तौहीद हुसैन जैसे कुछ संजीदा लोग भी हैं, जो अपने मुल्क को उबारना चाहते हैं। अंतरिम सरकार के विदेश सलाहकार मोहम्मद हुसैन का मानना है कि भारत के साथ अच्छे रिश्ते बनने ही चाहिए। आपसी सम्मान के आधार पर अच्छे द्विपक्षीय संबंधों के हिमायती हुसैन यह उम्मीद जताते हैं कि भारत में उनके समकक्ष इस दिशा में तत्परता दिखाएंगे।

बेशक, भारत अपने पड़ोसी का साथ कभी नहीं छोड़ेगा, लेकिन जहां तक संबंधों में नरमी की बात है, तो पहल बांग्लादेश को ही करनी होगी । उसे सबसे पहले आम चुनाव द्वारा अपने अवाम का विश्वास जीतना होगा।

बांग्ला देश की अंतरिम सरकार पूरी तरह से विफल दिख रही है। क्योंकि इसमें ज्यादातर ऐसे लोग हैं, जिनको रणनीति का कोई अनुभव नहीं है। खुद मोहम्मद युनुस जो इस सरकार के मुखिया हैं राजनीति में गोते खा रहे हैं क्योंकि उनको तैरना नहीं आता है। हालांकि साल 2007 में उन्होंने सियासत में हाथ आजमाने का प्रयास था लेकिन तब भी उनको नाकामी हाथ लगी थी। असल में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार जीतने वाले यूनुस भले ही एक अंतरराष्ट्रीय व्यक्तित्व के मालिक हैं लेकिन वह अमेरिका के करीब रहे हैं। यही वजह है कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय भी ढाका के हालात पर बस नजर जमाए बैठा है।

हालांकि एक तबका यह भी मानता है कि मोहम्मद यूनुस के दिन अब लदने वाले हैं, क्यों कि व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप का आगमन हो चुका है। यूनुस के बिल क्लिंटन, बराक ओबामा जैसे डेमोक्रेट्स राष्ट्रपतियों के साथ अच्छे रिश्ते रहें है, रिपब्लिकन के साथ नहीं। विकीलीक्स के कई खुलासे इसकी तसदीक करते हैं। ऐसे में, नए राष्ट्रपति ट्रंप के साथ उनका रिश्ता कितना आगे बढ़ घाएगा. कहना काफी मुश्किल है।

बांग्लादेश के भीड़तंत्र हावी हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। वहां हो चुका है। लगातार तोड़-फोड़ हो रही है। बुधवार की रात ही बंगबंधु शेख मुजीबुर्रहमान का घर हजारों लोगों की भीड़ ने गिरा दिया, क्योंकि वहां पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का वर्चुअल संबोधन होना था। यह सब इतिहास मिटाने के दावे के साथ हो रहा है। अराजकता अब इतनी बढ़ गई है कि पुलिस और फौज मिलकर भी स्थिति को संभाल नहीं पा रही। इसका नुकसान बांग्लादेश को खूब हो रहा है। एक समय यहां की फैक्टरियां बांग्लादेश की विकास दर की वाहक थीं, लेकिन जब से शेख हसीना का तख्तापलट किया गया है, तब से 100 से भी अधिक फैक्टरियां बंद हो गई हैं, जिससे इनमें काम करने वाली करीब 10 लाख लड़कियां बेरोजगार हो गई हैं। भूख और बेकारी इतनी बढ़ गई है कि मानव तस्करी में भी भारी इजाफा हो गया है। इन दिनों घुसपैठ का खतरा भी बढ़ गया है। अच्छी बात है कि उससे लगी सीमा पर हमारी तैनाती चाक-चौबंद है। सीमा सुरक्षा बल के जवान दिन-रात गश्त लगा रहे हैं। अभी ड्रग्स, मवेशी, खाने-पीने के सामान आदि की तस्करी के प्रयास भी खूब हो रहे हैं।

अंतरिम सरकार इसलिए भी हालात नहीं संभाल पा रही, क्योंकि यह भानुमती के पिटारे जैसा है। अलग-अलग क्षेत्रों के लोगों को इसमें इकट्ठा कर लिया गया है। इसमें छात्र संगठनों और जमात-ए-इस्लामी जैसे दलों की खूब चल रही है। इतना ही नहीं, हिज्ब उत-तहरीर, हिफाजत-ए-इस्लाम बांग्लादेश जैसे संगठन भी इसमें शामिल हैं, जो कट्टरपंथी हैं। फिर, अब तर्क इस सरकार को सांविधानिक मान्यता भी नहीं मिल पाई है। आवामी लीग-से जमात और छात्र संगठनों की नाराजगी अब तक इसलिए बनी हुई है, क्योंकि शेख हसीना भारत में निर्वासित जीवन जी रही हैं। प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए शेख हसीना ने मुक्ति संग्राम (बांग्लादेश का स्वाधीनता आंदोलन) में जमात-ए-इस्लामी जैसे दलों की जांच करने का एलान किया था और इसके दोषी पाए गए को फांसी दे दी थी। चूंकि पाकिस्तान और अमेरिका जैसे देश भी शेख हसीना को पसंद नहीं कर रहे थे, इसलिए उन्होंने भी छात्रों के आंदोलन को हवा दी, जो स्वाधीनता सेनानियों को कोटा (आरक्षण) दिए जाने के खिलाफ चल रहे थे। जहां तक सरकारों के बिगड़ने और बनने की बात है साल 2007 से 2010 तक के दरम्यान अनेक बार चुनी हुई सरकार को सत्ता से बेदखल किया गया। पहली कार्यवाहक सरकार को तीन महीने में ही फौज ने हटा दिया और फिर दूसरी सरकार बनाई, जो दो साल तक रही। पहली 'केयरटेकर' सरकार को चुनाव कराने की जिम्मेदारी दी गई थी। काफी निष्पक्ष लोग थे उसमें। चूंकि फौज मानती थी कि इतनी जल्दी चुनाव नहीं हो सकेंगे, इसलिए उसने नई सरकार का गठन किया। वे दोनों सरकारें भी आज की तरह अ-सांविधानिक ही थीं, लेकिन उस समय हालात इतने अस्थिर नहीं थे। उस समय अमेरिका की शहपुर मोहम्मद यूनुस ने अपनी पार्टी बनाई थी, लेकिन वह सफल नहीं रहे और साल 2008 का चुनाव शेख हसीना तीन- चौथाई मत पाकर जीत गई।

ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश में भारत-विरोधी सोच आज ही दिख रही है। यह मानसिकता पहले से रही है, 1947 से ही। 1971 की जंग में भी, जिसमें बांग्लादेश को पाकिस्तान से मुक्ति मिली थी, पूर्वी पाकिस्तान में करीब 30 प्रतिशत ऐसे लोग थे, जो पाकिस्तान की टूट नहीं चाहते थे। उन लोगों की नुमाइंदगी ही जमात-ए-इस्लामी जैसे सियासी दल कर रहे थे। यही कारण है कि कट्टरपंथियों के प्रभाव वाली आज की बांग्लादेशी हुकूमत मानो बिना सोचे-समझे फैसले ले रही है। इसमें कोई देश का नक्शा बदलने की बात कहता है, तो कोई इतिहास बदलने की। यह पता ही नहीं कि देश को किधर ले जाना है ? ऐसे में, सवाल उठता है कि भारत को क्या करना चाहिए? आभी तो हम बस धैर्य के साथ सब कुछ देख रहे हैं। चूंकि यह कार्यवाहक सरकार है, इसलिए इससे दीर्घकालिक रिश्ते बनाए भी नहीं जा सकते हां, व्यापार आदि बदस्तुर चल रहे हैं। वहां चावल की किल्लत हो गई, तो हमने मानवीय आधार पर उसे यह मुहैया भी कराई। अभी वहां भले ही कट्टरपंथी ज्यादा सक्रिय दिख रहे हैं. लेकिन आज नहीं, तो कल बांग्लादेश में चुनाव होगे ही। तो, जैसे ही बांग्लादेश खुद को संभाल लेगा, हमारे रिश्ते पूर्ववत शुरू हो जाएंगे।

घूँघट की बगावत

09 फरवरी 2025

प्रत्येक रविवार को प्रकाशित
हिन्दी साप्ताहिक समाचार पत्र

समाज के वंचित वर्ग को भी मिले पीने को दूध

श्वेत क्रांति से प्रेरित भारत का डेयरी क्षेत्र दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक बन गया है, फिर भी दूध की पहुँच बहुत असमान है। आय के अंतर, क्षेत्रीय विविधताओं और सामर्थ्य सीमाओं जैसे कारकों के कारण वंचित समूहों के बीच दूध की खपत सीमित है। कुपोषण और अतिपोषण के बारे में बढ़ती चिंताओं के साथ, इस अंतर को पाटने और समाज के सभी वर्गों के लिए समान पोषण सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए विशिष्ट नीतियों की आवश्यकता है। जब हम सामाजिक-आर्थिक और क्षेत्रीय समूहों के बीच दूध के सेवन में अंतर देखते हैं तो पाते है कि उच्चतम आय वाले परिवार प्रति व्यक्ति तीन से चार गुना अधिक दूध खाते हैं, जो निम्न आय वालों की तुलना में काफी आर्थिक असमानताओं को दशार्ता है। सबसे कम आय वाले 30% परिवार भारत के दूध का केवल 18% उपभोग करते हैं, जो उच्च समग्र उत्पादन के बावजूद निम्न-आय वाले समूहों में सामर्थ्य सम्बंधी मुद्दों को रेखांकित करता है। शहरी परिवार 30 प्रतिशत का उपभोग करते हैं।

राजस्थान, पंजाब और हरियाणा जैसे पश्चिमी और उत्तरी राज्यों में प्रति व्यक्ति खपत अधिक है (333 ग्राम-421 ग्राम प्रतिदिन), जबकि छत्तीसगढ़ और ओडिशा जैसे पूर्वी राज्य प्रतिदिन केवल 75 ग्राम-171 ग्राम खाते हैं। हरियाणा की डेयरी-अनुकूल संस्कृति और सहकारी नेटवर्क घरों में उच्च दूध की खपत को बढ़ावा देते हैं। आदिवासी (एसटी) परिवार सामान्य रूप से अन्य परिवारों की तुलना में प्रति व्यक्ति चार लीटर कम दूध का उपभोग करते हैं, जो लंबे समय से चली आ रही सामाजिक असमानताओं को उजागर करता है। दूध के पोषण सम्बंधी लाभों के बावजूद, डेयरी बाजारों तक सीमित पहुँच और आर्थिक बाधाएँ एसटी समुदायों को कम खचीर्ले, गैर-डेयरी विकल्पों पर निर्भर रहने के लिए प्रेरित करती हैं। धनी महानगरीय लोग अनुशंसित मात्रा से दोगुने से अधिक उपभोग करते हैं, मुख्य रूप से उच्च वसा, उच्च चीनी वाले डेयरी उत्पादों से, कम आय वाले परिवारों के लिए दूध महंगा है, जो 300 ग्राम की अनुशंसित दैनिक खपत को पूरा करने के लिए उनके मासिक खर्च का 10%-30% हिस्सा है।

प्रतिदिन ₹300 कमाने वाला एक दिहाड़ी मजदूर सिर्फ.दूध के लिए ₹30-₹90 का बजट बनाने के लिए संघर्ष कर सकता है, जिसके परिणामस्वरूप आहार प्रभावित होता है। ग्रामीण उत्पादकों के पास पर्याप्त भंडारण और वितरण नेटवर्क की कमी है, जिसके परिणामस्वरूप कम आय वाले और अलग-थलग परिवारों तक पहुँचने में अक्षमता होती है। लैक्टोज संवेदनशीलता और आहार सम्बंधी प्राथमिकताएँ दूध के सेवन को प्रभावित करती हैं, विशेष रूप से पूर्वी और आदिवासी क्षेत्रों में, जहाँ वैकल्पिक प्रोटीन स्रोतों को प्राथमिकता दी जाती है। झारखंड में आदिवासी जनजातियाँ सांस्कृतिक खाद्य प्राथमिकताओं कारण दालों और बाजरा पर निर्भर हैं। वित्तीय प्रतिबंधों के कारण, कुछ राज्यों ने कल्याणकारी कार्यक्रमों से दूध के प्रावधान को समाप्त कर दिया, जिससे कमजोर समुदायों तक पहुँच सीमित हो गई। छत्तीसगढ़ ने दूध की आपूर्ति बंद कर दी। समान दूध की पहुँच सुनिश्चित करने के लिए नीतिगत उपाय सबसे पहले आते हैं।

> समान दूध की पहुँच सुनिश्चित करने के लिए नीतिगत उपाय सबसे पहले आते हैं। पोषण कार्यक्रमों में सुधार जैसे प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण और एकीकृत बाल विकास सेवा जैसी योजनाओं के लिए वित्तीय सहायता बढ़ाएँ, जो स्कूल के भोजन और घर ले जाने वाले राशन में दूध की आपूर्ति करती हैं। कर्नाटक और गुजरात जैसे राज्य वर्तमान में स्कूल पोषण कार्यक्रमों के माध्यम से दूध प्रदान करते हैं, लेकिन कवरेज का विस्तार करने से बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है। वितरण लागत को कम करने और सामर्थ्य बढ़ाने के लिए मजबूत डेयरी नेटवर्क वाले क्षेत्रों में जरूरतमंद परिवारों के लिए दूध वाउचर पेश करें। गुजरात में डेयरी सहकारी समितियाँ स्थानीय दुकानों पर भुनाए जाने वाले दूध कूपन प्रदान करने के लिए सामाजिक पहलों के साथ काम कर सकती हैं। सब्सिडी वाले दूध वितरण के लिए धन बनाने के लिए सामाजिक बांड, सीएस-ाआर फंडिंग और अस्वास्थ्यकर खाद्य पदार्थों पर कर लगाने की जाँच करें। दूध वितरण को निधि देने के लिए आइसक्रीम जैसे उच्च चीनी वाले डेयरी उत्पादों पर एक छोटा कर लगाया जा सकता है।

पोषण कार्यक्रमों में सुधार जैसे प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण और एकीकृत बाल विकास सेवा जैसी योजनाओं के लिए वित्तीय सहायता बढ़ाएँ, जो स्कूल के भोजन और घर ले जाने वाले राशन में दूध की आपूर्ति करती हैं। कर्नाटक और गुजरात जैसे राज्य वर्तमान में स्कूल पोषण कार्यक्रमों के माध्यम से दूध प्रदान करते हैं, लेकिन कवरेज का विस्तार करने से बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है। वितरण लागत को कम करने और सामर्थ्य बढ़ाने के लिए मजबूत डेयरी नेटवर्क वाले क्षेत्रों में जरूरतमंद परिवारों के लिए दूध वाउचर पेश करें। गुजरात में डेयरी सहकारी समितियाँ स्थानीय दुकानों पर भुनाए जाने वाले दूध कूपन प्रदान करने के लिए सामाजिक पहलों के साथ काम कर सकती हैं। सब्सिडी वाले दूध वितरण के लिए धन बनाने के लिए सामाजिक बांड, सीएसआर फंडिंग और अस्वास्थ्यकर खाद्य पदार्थों पर कर लगाने की जाँच करें।

दूध वितरण को निधि देने के लिए आइसक्रीम जैसे उच्च चीनी वाले डेयरी उत्पादों पर एक छोटा कर लगाया जा सकता है। महिलाओं और परिवारों को दूध के महत्त्व के बारे में शिक्षित करने के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों, स्वयं सहायता समूहों और मीडिया भागीदारी का उपयोग करें। महाराष्ट्र के पोषण माह 2024 अभियान ने संतुलित आहार के बारे में सफलतापूर्वक जागरूकता बढ़ाई, जिससे ग्रामीण समुदायों में आहार विविधता में सुधार हुआ। अत्यधिक डेयरी सेवन को रोकने के लिए, यूके के चेंज4लाइफ शुगर स्वैप अभियान के समान, स्वास्थ्य संदेश के माध्यम से संयम को प्रोत्साहित करें। डॉक्टर और पोषण विशेषज्ञ स्वस्थ डेयरी उपभोग पैटर्न की वकालत कर सकते हैं, जिससे मोटापे और गैर-संचारी रोगों का बोझ कम हो सकता है। दूध की खपत की असमानताओं को पाटने के लिए लक्षित सब्सिडी, मजबूत सार्वजनिक वितरण प्रणाली और छोटे पैमाने पर डेयरी फार्मिंग के लिए प्रोत्साहन की आवश्यकता है। कोल्ड स्टोरेज के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और फोर्टिफाइड डेयरी उत्पादों को बढ़ावा देना पहुँच को बढ़ा सकता है। एक बहु-हितधारक दृष्टिकोण, प्रौद्योगिकी और जागरूकता अभियानों को एकीकृत करना, पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करेगा, एक स्वस्थ और अधिक न्यायसंगत भारत को आगे बढ़ाएगा।

बेटी नहीं बचाओगे, तो बहू कहाँ से लाओगे?

बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम ने बेटे को प्राथमिकता देने के मुद्दे पर सफलतापूर्वक जागरूकता बढ़ाई है, लेकिन अपर्याप्त कार्यान्वयन और निगरानी के कारण, यह अपने वर्तमान स्वरूप में अपने मुख्य लक्ष्य को प्राप्त करने में विफल रहा है। 22 जनवरी, 2015 को बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम की शुरूआत की गई थी, जिसका उद्देश्य लिंग-भेदभाव को रोकना, बालिकाओं को जीवित रखना और उनकी शिक्षा को आगे बढ़ाना था। भले ही बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम ने लिंग भेदभाव के बारे में बहुत जरूरी जागरूकता पैदा की है, लेकिन अपर्याप्त कार्यान्वयन और निगरानी के कारण यह अपने मुख्य लक्ष्य से भटकता नजर आता है जबकि यह अपने दसवें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। भारत में युवा लड़कियों को अपने जीवन भर कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है और बेटे को प्राथमिकता देने और प्रतिगामी सत्ता संरचनाओं जैसे पितृसत्तात्मक सामाजिक मानदंडों के परिणामस्वरूप आर्थिक अवसरों को खोना पड़ता है जो उनके अस्तित्व और शिक्षा में बाधा डालते हैं।बेटे को प्राथमिकता देने वाले सामाजिक मानदंडों में यह कथन शामिल है कि ₹बेटी की परवरिश पड़ोसी के बगीचे में पानी देने जैसा है।₹ दृष्टिकोण बदलने के लिए सिर्फ.वित्तीय प्रोत्साहन से ज्यादा की जरूरत है।

हरियाणा में एक कहावत है, ₹बेटी नहीं बचाओगे, तो बहू कहाँ से लाओगे?₹ हालांकि यह मान लेना गलत है कि सभी बेटियाँ भावी दुल्हन हैं, फिर भी यह मुहावरा एक ऐसे राज्य में लिंग-चयनात्मक गर्भपात के गंभीर परिणामों की ओर ध्यान आकर्षित करने में प्रभावी है, जो दशकों से ₹बेटियों की कमी₹ से जूझ रहा है। स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और आय में प्रगति के बावजूद भारत का जन्म के समय लिंग अनुपात (एस-ाआरबी) कम बना हुआ है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस-5, 2019-21) द्वारा एस-ाआरबी को प्रति 1,000 लड़कों पर 929 लड़कियाँ बताया गया। यह एनएफएचएस-4 (2015-16: प्रति 1,000 लड़कों पर 919 लड़कियाँ) की तुलना में थोड़ा सुधार है, लेकिन यह अभी भी एक निरंतर लिंग पूर्वाग्रह दिखाता है। ऐतिहासिक रूप से कुछ राज्यों में, विशेष रूप से उत्तरी और पश्चिमी भारत में अधिक विषम अनुपात रहे हैं।

1994 के गर्भाधान पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (पीसीपीएनडीटी) अधिनियम के बावजूद, जन्मपूर्व लिंग निर्धारण तकनीकों द्वारा लिंग-पक्षपाती लिंग चयन संभव हो गया है। धनी आर्थिक समूहों और उच्च जातियों में पुरुषों के प्रति झुकाव वाली एसआरबी की दर अधिक है, जो यह दशार्ता है कि मौद्रिक प्रोत्साहन अकेले पर्याप्त निवारक नहीं हो सकते हैं। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ के लागू होने के बाद से हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में एसआरबी में सुधार हुआ है। दक्षिणी और पूर्वी राज्यों में एसआरबी में गिरावट आ रही है, जिन्हें आम तौर पर बेहतर लिंग अनुपात के लिए जाना जाता है। यह एक चिंताजनक प्रवृत्ति है। हालाँकि दिल्ली के आसपास के राज्यों में सुधार हुआ है, लेकिन दिल्ली में भी एसआरबी में गिरावट देखी गई है। जबकि यहाँ बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान के लिए बुनियादी लक्ष्य और रणनीतियाँ थीं।

पीसीपीएनडीटी अधिनियम को और अधिक सख्ती से लागू करके लिंग के आधार पर लिंग चयन को प्रतिबंधित करना होगा। लड़कियों की शिक्षा, सुरक्षा और जीवन रक्षा को बढ़ाना होगा। बाल विवाह में देरी करना और महिलाओं की शैक्षिक प्राप्ति को बढ़ाना जरूरी है। पितृसत्तात्मक मान्यताओं से निपटने के लिए राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर प्रयासकरने होंगे। लिंग-चयनात्मक गर्भपात को रोकने के लिए, पीसीपीएनडीटी अधिनियम को मजबूत किया जाना चाहिए। वित्तीय प्रोत्साहन जैसे कि हरियाणा के लाडली और आपकी बेटी हमारी बेटी जैसे कार्यक्रम परिवारों को लड़कियों की मदद करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। शैक्षिक सशक्तिकरण, छात्रवृत्ति और बुनियादी ढांचे के समर्थन के माध्यम से लड़कियों की शिक्षा के लिए धन मुहैया कराना प्रभावी कदम है। उच्च विषमता वाले क्षेत्रों के बाहर सीमित प्रभावशीलता बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ का प्रभाव अलग-अलग है; कुछ दक्षिणी और पूर्वी राज्यों में एसआरबी में गिरावट देखी जा रही है। इसका मतलब है कि उच्च विषमता वाले राज्यों में केंद्रित हस्तक्षेप पर्याप्त नहीं हैं।

बेटे को प्राथमिकता देने वाले सामाजिक मानदंडों में यह कथन शामिल है कि ₹बेटी की परवरिश पड़ोसी के बगीचे में पानी देने जैसा है।₹ दृष्टिकोण बदलने के लिए सिर्फ.वित्तीय प्रोत्साहन से ज्यादा की जरूरत है। कम महिला श्रम शक्ति भागीदारी अभी भी दुनिया में सबसे कम है, यहाँ तक कि बेहतर शैक्षिक मानकों के साथ भी। आर्थिक असुरक्षा का अनुभव करने वाली महिलाएँ पितृसत्तात्मक व्यवस्थाओं का विरोध करने में कम सक्षम हैं। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 के अनुसार, भारत वेतन समानता के मामले में वैश्विक स्तर पर 127वें स्थान पर है, जहाँ पुरुषों द्वारा अर्जित प्रत्येक 100 रुपये के लिए महिलाएँ केवल 39.8 रुपये कमाती हैं। सशर्त नकद प्रोत्साहन (जैसे, सशर्त नकद हस्तांतरण) प्रणालीगत परिवर्तन के बजाय नीति का केंद्र बिंदु हैं। लाडली योजना द्वारा लैंगिक पूर्वाग्रह के अंतर्निहित कारणों को दूर नहीं किया गया है। रोजगार, संपत्ति के अधिकार और वित्तीय स्वायत्तता के क्षेत्रों में संरचनात्मक परिवर्तन प्राप्त करने के लिए, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ को कैचफ्रेज से आगे बढ़ना चाहिए।

लिंग-संवेदनशील नीतियों को मजबूत किया जा रहा है। ₹लड़कियों को बचानेः के बजाय, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ को नेतृत्व, वित्तीय समावेशन और रोजगार में ₹महिलाओं को सशक्त बनानेः पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। प्रोत्साहन देकर अधिक महिलाओं को उद्यमिता और करियर को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करें। रोजगार अंतराल और वेतन असमानताओं को संबोधित करें लैंगिक वेतन अंतर को कम करने के लिए समान वेतन कानून लागू करें। मातृत्व लाभ, लचीले कार्य कार्यक्रम और चाइल्डकैअर सहायता प्रदान करके अधिक लोगों को काम करने के लिए प्रोत्साहित करें। पीसीपीएनडीटी अधिनियम के प्रवर्तन को बढ़ाना, डायग्नोस्टिक क्लीनिकों की निगरानी करना और अवैध लिंग निर्धारण के खिलाफ सख्त कदम उठाना कानूनी और सामाजिक सुधारों को मजबूत करने के सभी तरीके हैं। सरकार के स्थानीय स्तर पर जवाबदेही प्रणाली को मजबूत करें। संपत्ति और विरासत पर महिलाओं के अधिकार सुनिश्चित करें।

उत्तराधिकार अधिकारों को न्यायसंगत बनाए रखें, खास तौर पर उन क्षेत्रों में जहाँ बेटियों को अभी भी समान संपत्ति का स्वामित्व नहीं दिया जाता है। महिलाओं को परिवारों में एक साथ संपत्ति रखने के लिए प्रोत्साहित करें। समुदाय द्वारा संचालित व्यवहार और जुड़ाव में बदलाव लाएं। स्थानीय नेताओं के माध्यम से जमीनी स्तर पर भागीदारी बढे। शिक्षकों, धार्मिक नेताओं और समुदाय के प्रभावशाली सदस्यों को पितृसत्तात्मक परंपराओं का विरोध करने के लिए प्रोत्साहित करें। लैंगिक समानता के बारे में बातचीत में अधिक पुरुषों को शामिल करें। बेटियों के मूल्य की कहानी को बदलने वाले अभियानों को अपना ध्यान ₹बालिकाओं की सुरक्षाः से बदलकर बालिकाओं को सशक्त बनाने पर केंद्रित करने की आवश्यकता है। परिवार की सफलता के लिए बेटियों को संपत्ति के रूप में उत्थानकारी संदेशों को प्रोत्साहित करें। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम ने बेटे को प्राथमिकता देने के मुद्दे पर सफलतापूर्वक जागरूकता बढ़ाई है, लेकिन अपर्याप्त कार्यान्वयन और निगरानी के कारण, यह अपने वर्तमान स्वरूप में अपने मुख्य लक्ष्य को प्राप्त करने में विफल रहा है।

जिला और राज्य स्तर की बैठकों की कमी के कारण योजना पिछले कुछ वर्षों में बनी गति खो रही है। इसलिए जिला और राज्य स्तर पर कार्य समितियों का प्रतिनिधित्व समुदाय स्तर के कार्यकर्ताओं द्वारा किया जाना चाहिए, महिला छात्राओं द्वारा सामना की जाने वाली कठिनाइयों, जैसे शौचालयों की कमी, के बारे में जागरूक होना चाहिए और प्रभावी निगरानी और मूल्यांकन प्रणाली होनी चाहिए, जो यह दिखाए कि योजनाएँ अपने लक्ष्यों की दिशा में कितनी अच्छी तरह काम कर रही हैं। भारत में, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ लिंग आधारित भेदभाव को दूर करने के लिए एक उल्लेखनीय नीतिगत हस्तक्षेप रहा है। हालाँकि इसने कुछ क्षेत्रों में एसआरबी के सुधार में योगदान दिया है, लेकिन महिलाओं की आर्थिक उन्नति में निहित पितृसत्तात्मक मान्यताओं और संरचनात्मक बाधाओं के कारण इसका प्रभाव अभी भी सीमित है।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि महिलाओं को पुरुषों के समान आर्थिक, सामाजिक और कानूनी अवसरों तक समान पहुँच हो, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ को अपनी संरक्षणवादी रणनीति को अधिकार-आधारित सशक्तिकरण पर केंद्रित रणनीति से बदलना होगा। तभी हम सशर्त प्रोत्साहनों से आगे बढ़ पाएंगे और स्थायी समानता प्राप्त कर पाएंगे, जिससे लिंग अंतर कम हो जाएगा। सांस्कृतिक मान्यताओं में गहराई तक समाए होने के कारण अक्सर महिलाओं को सशक्त बनाने वाले कानूनों को लागू करना मुश्किल हो जाता है, जैसे संपत्ति के स्वामित्व का अधिकार, स्थानीय नेताओं और प्रभावशाली लोगों के नेतृत्व में समुदाय की भागीदारी की आवश्यकता होती है ताकि पितृसत्तात्मक मानदंडों पर सवाल उठाया जा सके और उन्हें बदला जा सके। हालाँकि इसके लिए नारेबाजी और सशर्त नकद प्रोत्साहनों की तुलना में अधिक सूक्ष्म प्रयासों की आवश्यकता होती है, लेकिन बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना निश्चित रूप से एक सकारात्मक कदम रही है। पितृसत्तात्मक मानदंडों के तहत लैंगिक समानता के लिए बातचीत करने से शायद कोई फायदा न हो। धीरे-धीरे लेकिन निश्चित रूप से, हमें अपना दृष्टिकोण बदलना होगा।

-प्रियंका सौरभ

समाज के लिए आत्मचिंतन का विषय

तेलंगाना में पूर्व सैनिक गुरुमूर्ति द्वारा अपनी पत्नी माधवी की हत्या और उसके शव के साथ की गई बर्बरता ने पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया है। यह घटना न केवल एक जघन्य अपराध की कहानी है, बल्कि समाज में व्याप्त हिंसा की प्रवृत्ति, रिश्तों में बढ़ती असंवेदनशीलता और मानसिक विकृति का भी प्रमाण है।

इस वारदात ने श्रद्धा वालकर की हत्या की यादों को कुरेद दिया। जहां उसके कथित प्रेमी ने उसे मार कर शव के टुकड़े कर दिए थे। ऐसी घटनाएं समाज के भीतर गहरी पैठ बना चुकी क्रूरता और रिश्तों में बढ़ती दरारों को उजागर करती हैं। गुरुमूर्ति ने अपनी पत्नी को मारने के बाद उसके शव को टुकड़ों में काट कर कुकर में उबालने और फिर झील में फेंकने जैसा अमानवीय कृत्य किया। यह किसी साधारण अपराध की श्रेणी में नहीं आता। यह घटना हमारे समाज में बढ़ती संवेदनहीनता और मानसिक अस्थिरता को दशार्ती है। रिश्तों में असहमति होना स्वाभाविक है लेकिन जब यह असहमति हिंसा का रूप ले लेती है तो यह समाज के लिए गंभीर चेतावनी बन जाती है। यह घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर ऐसा क्या हो गया है कि रिश्ते अब हिंसा और हत्या की ओर बढ़ रहे हैं। पति-पत्नी के बीच संबंधों को निजी मामला माना जाता है, लेकिन क्या इन संबंधों में मानवता और संवेदनशीलता पूरी तरह खत्म हो चुकी है?

गुरुमूर्ति और माधवी के बीच झगड़े पहले भी होते रहे होंगे लेकिन इन झगड़ों ने हिंसा का ऐसा स्वरूप ले लिया जो किसी भी सभ्य समाज के लिए अस्वीकार्य है। जहां यह दंपति रहता था, वहां के पड़ोसियों को भी इस बात की भनक तक नहीं लगी। यह समाज में बढ़ती एकाकी प्रवृत्ति और पड़ोसियों के बीच संवादहीनता को उजागर करता है। क्या हम इतने आत्मकेंद्रित हो चुके हैं कि हमारे आसपास क्या हो

> रिश्तों में विश्वास की कमी और संवादहीनता ऐसी घटनाओं की मुख्य वजह बन रही हैं। घरेलू हिंसा के मामले दिन-ब-दिन बढ़ रहे हैं, लेकिन इन्हें रोकने के लिए केवल कड़े कानून पर्याप्त नहीं हैं। इन घटनाओं के पीछे छिपे मानसिक और सामाजिक कारणों को समझना और उनका समाधान खोजना भी जरूरी है।

रहा है, इसकी हमें कोई परवाह नहीं? यह घटना केवल एक अपराध नहीं है, बल्कि समाज के लिए दर्पण भी है जिसमें हमारी सामूहिक संवेदनहीनता साफ झलकती है।

रिश्तों में विश्वास की कमी और संवादहीनता ऐसी घटनाओं की मुख्य वजह बन रही हैं। घरेलू हिंसा के मामले दिन-ब-दिन बढ़ रहे हैं, लेकिन इन्हें रोकने के लिए केवल कड़े कानून पर्याप्त नहीं हैं। इन घटनाओं के पीछे छिपे मानसिक और सामाजिक कारणों को समझना और उनका समाधान खोजना भी जरूरी है। यह घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम अपने रिश्तों को सही तरीके से संभाल पा रहे हैं। अगर किसी रिश्ते में समस्या है, तो उसका समाधान संवाद और परामर्श के माध्यम से निकाला जा सकता है। लेकिन जब समस्याओं को नजरअंदाज किया जाता है, तो वे हिंसा का रूप ले लेती हैं। हमें समझने की जरूरत है कि घरेलू हिंसा केवल व्यक्तिगत मामला नहीं है बल्कि यह पूरे समाज को प्रभावित करती है। माधवी की हत्या का मामला यह भी दशार्ता है कि समाज में मानसिक स्वास्थ्य और पारिवारिक तनाव को लेकर जागरूकता की कमी है। हमें समझना होगा कि मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं किसी भी व्यक्ति को हिंसक बना सकती हैं। इस दिशा में सामूहिक प्रयास की जरूरत है जिसमें परिवार, समाज और सरकार की भूमिका अहम है। गुरुमूर्ति द्वारा किए गए इस अपराध को केवल एक अपराधी की मानसिक विकृति मान कर खारिज नहीं किया जा सकता। यह घटना समाज में व्याप्त गहरी समस्याओं की ओर इशारा करती है।

इसे एक उदाहरण बना कर सुनिश्चित करना होगा कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। इसके लिए न केवल सख्त कानूनों की जरूरत है, बल्कि समाज में संवेदनशीलता और जागरूकता बढ़ाने की भी महती आवश्यकता है। यह घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। रिश्तों में बढ़ती हिंसा और असंवेदनशीलता को रोकने के लिए हमें अपने मूल्यों और व्यवहारों पर पुनर्विचार करना होगा। यह समाज के लिए चेतावनी है कि अगर हम अब भी नहीं जागे तो ऐसी घटनाएं आम हो जाएंगी। गुरुमूर्ति और माधवी का मामला केवल एक घटना मात्र नहीं है, बल्कि समाज के लिए आत्मचिंतन का विषय भी है। हमें सुनिश्चित करना होगा कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए व्यक्तिगत, सामाजिक और संस्थागत स्तर पर जोरदार प्रयास किए जाएं।

केजरीवाल का सपना ध्वस्त

दिल्ली में भाजपा की जीत ने यह भी बताया कि आम आदमी पार्टी अपने ही सबसे मजबूत गढ़ में लोगों का भरोसा कायम नहीं रख सकी। इसके लिए अरविंद केजरीवाल के अलावा और कोई जिम्मेदार नहीं। केजरीवाल ने मुख्यमंत्री और पार्टी प्रमुख के रूप में अपने कार्य-व्यवहार से दिल्ली के साथ शेष देश के लोगों को भी निराश किया, क्योंकि उन्होंने नई तरह की राजनीति का सपना दिखाया था।

> भाजपा ने दिल्ली जीतकर एक और राज्य में डबल इंजन सरकार बना ली, लेकिन इसी के साथ उसके कंधों पर राजधानी को संवारने की चुनौती आ गई है। उसे इस चुनौती को पूरा करने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने होंगे, क्योंकि देश की अंतरराष्ट्रीय छवि बहुत कुछ दिल्ली पर निर्भर करती है।

यह सपना इसीलिए ध्वस्त हो गया, क्योंकि के-जरीवाल ने जो कुछ कहा, उसके खिलाफ काम किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने आरोप लगाओ और भाग जाओ वाला तरीका तो अपनाया ही, अनगिनत यू-टर्न लिए और भ्रष्टाचार से लड़ने वाले नेता की अपनी छवि को अपने ही हाथों नष्ट किया। राष्ट्रीय दल का दर्जा पाने के बाद भी आम आदमी पार्टी औरों की तरह एक और दल के रूप में तब्दील हो गई।लोगों ने अन्ना आंदोलन की उपज केजरीवाल का साथ इसलिए नहीं दिया था कि वे अन्य दलों सरीखा एक और दल देखना चाहते थे। वे तो देश में बुनियादी राजनीतिक बदलाव होते हुए देखना चाहते थे। अफसोस कि केजरीवाल ने इसके लिए कोई कोशिश तक नहीं की। दिल्ली ने आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस को भी सबक सिखाया और सबसे बड़ा सबक यही है कि वह अपने बलबूते लड़ना सीखे और जिम्मेदार राष्ट्रीय दल जैसा व्यवहार करे।

भाजपा ने दिल्ली जीतकर एक और राज्य में डबल इंजन सरकार बना ली, लेकिन इसी के साथ उसके कंधों पर राजधानी को संवारने की चुनौती आ गई है। उसे इस चुनौती को पूरा करने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने होंगे, क्योंकि देश की अंतरराष्ट्रीय छवि बहुत कुछ दिल्ली पर निर्भर करती है।

दिल्ली की जीत ने जहां भाजपा को राजनीतिक रूप से कहीं अधिक मजबूती देने का काम किया, वहीं विपक्षी दलों और उनके मोर्चे आइएनडीआइए को यह संदेश दिया कि यदि उसने अपनी रीति-नीति नहीं बदली तो आगे और अधिक कठिनाई होने वाली है।

यूं तो खुदकुशी की इस चेन को तोड़ने के लिए जिला प्रशासन ने गाइड लाइंस जारी की हैं और इनका पालन न करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी कर रहा है लेकिन इस सिलसिले को रोकने के लिए तीन उपाय करने की जरूरत है। पहली बात तो यह कि माता-पिता अपने बच्चों पर डॉक्टर और इंजीनियर बनने के लिए अनावश्यक दबाव न डालें। दूसरी बात यह कि प्रवेश के समय ही छात्रों के मानसिक और बौद्धिक स्तर का परीक्षण कर लिया जाए और कमजोर छात्रों को प्रवेश ही न दिया जाए। तीसरी और अंतिम बात यह कि पीजी संचालक बच्चों को घर जैसा परिवेश दें उनके प्रति सहानुभूति दशाएं और खुदकुशी जैसे कोई कदम उठाने से रोकें ।

आत्महत्याओं का हब बनता जा रहा कोटा

राजस्थान का कोटा शहर जिसे प्री-इंजीनियरिंग परीक्षा और मेडिकल एंट्रेस टेस्ट के क्षेत्र में देशभर में डंका बजाने वाला माना जाता था, अब यह कोचिंग संस्थान विद्यार्थियों की आत्महत्या का हब बनता जा रहा है। अभिभावक यह सोचकर अपने बच्चों को कोचिंग में अध्ययन करने के लिए कोटा भेजते हैं कि उनके बच्चों का भविष्य उज्ज्वल होगा। वे इंजीनियरिंग अथवा डॉक्टरी की शिक्षा में एडमीशन ले सकेंगे, अपने बच्चों को वे तमाम तरह के सब्जबाग दिखाते हैं लेकिन तमाम प्रकरण ऐसे हो रहे जिनमें बच्चा विफल होने पर आत्महत्या कर लेता है और अभिभावक हाथ मलते रह जाते हैं।

जनवरी, 2025 में ही छह छात्रों के आत्महत्या कर लेने से एक बार कोटा फिर भयावह नजर आने लगा है। ऐसे में प्रश्न यह उपस्थित होता है कि आखिर कोटा में कोचिंग सेंटर्स में पढ़ने वाले छात्र विफल होने पर क्यों आत्महत्या कर लेते हैं? इसके लिए जिम्मेदार कौन है ?आत्महत्याओं के बढ़ते आंकड़ों से लोग अब अपने बच्चों को कोचिंग के लिए कोटा भेजने से कतराने लगे हैं। पिछले 10 वर्षों के दरमयान में कम से कम 127 विद्यार्थियों की खुदकुशी के मामले सामने आए, अब यह आंकड़ा और तेजी से बढ़ रहा है। इसे सरकारी तंत्र की विफलता मानें या कोचिंग सेंटल संचालकों की उदासीनता, पढ़ाई का दबाव झेलने में नाकाम रहने वाले विद्यार्थियों की मौत का आंकड़ा थमता नजर नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं है कि सरकार ने ऐसे घटनाक्रम रोकने के लिए प्रयास न किए हों। कई बार गाइडलाइंस जारी की गई हैं लेकिन आत्महत्या का यह सिलसिला थमता नजर नहीं आ रहा है।

यक्ष प्रश्न यह कि खुदकुशी के इस दर्दनाक खेल के लिए किसे कठघरे में खड़ा किया जा सकता है। आज हर माता-पिता की ख्वाहिश होती है कि उनके बच्चे अच्छी से अच्छी सेवा में जाएं और उनका नाम रोशन करें। जो माता-पिता अपने बच्चों को डॉक्टर या इंजीनियर बनाना चाहते हैं वे अपने बच्चों को कोटा के कोचिंग सेंटर्स से तैयारी कराते हैं। इसमें दो राय नहीं कि डॉक्टरी और इंजीनियरिंग की तैयारी के लिए कोटा सर्वोत्तम हब माना जाता है।

स्पष्ट है कि लोगों का ध्यान कोटा पर केंद्रित हो लेकिन अभिभावक यह नहीं देखते कि उनका बच्चा इन दोनों पाठ्यक्रमों के लायक है भी या नहीं। सभी बालक अतिकुशाग्र बुद्धि के नहीं होते। सभी की बौद्धिक क्षमता एक जैसी नहीं होती। ऐसे में बच्चों को स्वप्न दिखाकर कोटा में एडमीशन दिलाना उनके जीवन के साथ खिलवाड़ करना ही है। तमाम बच्चे मध्यम और निचले वर्ग के भी होते हैं। उन्हें बताया जाता है कि कैसे शिक्षा प्राप्त कर उन्हें घर-परिवार का नाम रोशन करना है। जब वे इसमें विफल हो जाते हैं तो नाकामी का दबाव उन्हें आत्महत्या के लिए प्रेरित करता है। बहुत से बच्चों पर घर का आर्थिक दबाव भी होता है। इस दबाव के चलते उनके कदम खुदकुशी की ओर बढ़ते हैं। स्पष्ट है कि इन आत्महत्याओं के लिए प्राथमिक तौर पर उनके अभिभावक ही दोषी होते हैं। ॥ दूसरे नंबर पर आते हैं कोचिंग सेंटर संचालक। अब यह बात किसी से छिपी नहीं है कि शिक्षा व्यवसाय का रूप ले चुकी है। निम्न से लेकर उच्च स्तर तक की शिक्षा में बड़ी रकम खर्च होती है।

कोटा में जो कोचिंग सेंटर चल रहे हैं उनमें भी मोटी रकम के लालच में बड़ी संख्या में विद्यार्थियों के प्रवेश ले लिये जाते हैं। भले ही उन कोचिंग सेंटर्स में छात्रों के बैठने तक की समुचित व्यवस्था न हो, लेकिन प्रवेश पंजीयन कर लिया जाता है। बाद में उनके बैठने आदि की वैकल्पिक अस्थायी व्यवस्था की जाती है। प्रवेश लेते समय सिर्फ बड़ी रकम देखी जाती है बच्चे का मानसिक और बौद्धिक स्तर नहीं। बच्चा जेईई अथवा नीट एंट्रेंस क्लीयर कर पायेगा या नहीं, इस ओर कोई गौर नहीं किया जाता। कोचिंग सेंटर संचालक सिर्फ व्यवसाय कर रहे हैं। हम यह नहीं कहते कि वे अच्छी शिक्षा नहीं दे रहे, निश्चित रूप से दे रहे हैं, लेकिन यह देखने वाला कोई नहीं है कि बच्चे मानसिक रूप से यह शिक्षा ग्रहण कर भी पा रहे हैं या नहीं। बीच-बीच में उन्हें ताकीद कर दी जाती है कि वे पिछड़ रहे हैं और ज्यादा मेहनत करें, लेकिन कैसे यह कोई नहीं बताता। शायद यही कारण है कि प्रशासन और सरकार ने जो गाइडलाइंस जारी की है, उसमें चयन समिति गठित करने का सुझाव दिया गया है।

अगर चयन समिति में शामिल विषय विशेषज्ञ प्रवेश के समय ही विद्यार्थियों के मानसिक और बौद्धिक स्तर की जांच कर लें और सक्षम विद्यार्थियों को ही प्रवेश दें तो न संबंधित कोचिंग सेंटर का परीक्षा फल उत्तम हो बल्कि खुदकुशी की इस अनवरत चली आ रही श्रृंखला पर विराम भी लग सके। चयन समिति अगर अयोग्य या कमजोर छात्रों को प्रवेश ही न दे तो इतना ही तो होगा कि छात्र लौट जाएगा लेकिन कम से कम आत्महत्या करने की नौबत तो नहीं आएगी। तीसरी जिम्मेदारी बनती है पीजी संचालकों की जो मोटी रकम लेकर छात्रों को आवास तो मुहैया करा देते हैं, लेकिन वहां ऐसी कोई सुरक्षात्मक व्यवस्था नहीं करते जिससे छात्र आत्महत्या न कर सके। कहने को कहा जा सकता है कि जिसे खुदकुशी करनी है वह कहीं भी कर सकता है, किसी भी प्रकार से कर सकता है मगर पीजी संचालकों की यह नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि कम से कम वह अपने पीजी में तो इस तरह के इंतजाम कर लें कि छात्र खुदकुशी करने का मौका न पा सके। दूसरी बात उन्हें सिर्फ आय का साधन ही समझें बल्कि उनके दुख-सुख में सहभागी बनने का प्रयास करें ताकि छात्रों को पीजी में भी घर जैसा माहौल मिल सके। यूं तो खुदकुशी की इस चेन को तोड़ने के लिए जिला प्रशासन ने गाइड लाइंस जारी की हैं और इनका पालन न करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी कर रहा है लेकिन इस सिलसिले को रोकने के लिए तीन उपाय करने की जरूरत है। पहली बात तो यह कि माता-पिता अपने बच्चों पर डॉक्टर और इंजीनियर बनने के लिए अनावश्यक दबाव न डालें। दूसरी बात यह कि प्रवेश के समय ही छात्रों के मानसिक और बौद्धिक स्तर का परीक्षण कर लिया जाए और कमजोर छात्रों को प्रवेश ही न दिया जाए। तीसरी और अंतिम बात यह कि पीजी संचालक बच्चों को घर जैसा परिवेश दें उनके प्रति सहानुभूति दशाएं और खुदकुशी जैसे कोई कदम उठाने से रोकें ।

विकसित भारत की संकल्पना साकार करने की दिशा में एक सार्थक पहल

वित्त मंत्री ने एक फरवरी को जो बजट पेश किया, उसे विकसित भारत की संकल्पना साकार करने की दिशा में एक सार्थक पहल की संज्ञा दी जा सकती है। वित्त मंत्री ने आर्थिक सुस्ती को भांपते हुए उपभोग को बढ़ावा देने का दांव चला है। भू-राजनीतिक अनिश्चितताएं भी सरकार के संज्ञान में हैं। ऐसी परिस्थितियों में वित्त मंत्री ने वृहद आर्थिक स्थायित्व, निवेश और उपभोग को प्रोत्साहन देने का असंभव सा काम संभव किया है।

राजकोषीय अनुशासन के मोर्चे पर सरकार वित्तीय घाटे को नियंत्रित रखने में सफल रही है। सरकार की सकल उधारी 14.83 लाख करोड़ रुपये रही, जिसमें गत वर्ष की तुलना में केवल 5.6 प्रतिशत बढ़ोतरी हुई। नामिनल जीडीपी में 10.1 प्रतिशत की वृद्धि के आसार हैं। यह परिदृश्य राजस्व एवं व्यय अनुमान को लेकर भरोसा बढ़ाता है। यह रिजर्व बैंक को भी सकारात्मक संकेत देता है।

पिछले कुछ समय से अपना निवेश बढ़ा रही सरकार ने बजट के जरिये अब निजी क्षेत्र को निवेश बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया है। इन्फ्रास्ट्रक्चर में निजी क्षेत्र की सहभागिता से पूंजीगत निवेश में बढ़ोतरी होगी। खपत बढ़ाने पर भी सरकार का पूरा जोर है। मध्य वर्ग को सरकार की ओर से करीब एक लाख करोड़ रुपये की टैक्स छूट मिलने जा रही है। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि इसमें से 80 प्रतिशत राशि से लोग खरीदारी करेंगे तो 20 प्रतिशत बचाएंगे।

बजट प्रस्तावों को तीन नजरियों से देखा जा सकता है-तात्कालिक, मध्यम अवधि और दीर्घकालिक। तात्कालिक नजरिये से बजट जीडीपी को गति देगा, मध्यम अवधि में यह निरंतर तेज जीडीपी को सहारा देगा और दीर्घ अवधि में समृद्धि की आधारशिला रखेगा। बजट में कृषि, विनिर्माण और सेवा जैसे अर्थव्यवस्था के प्रत्येक स्तंभ पर ध्यान दिया गया है।

यह ग्रामीण एवं शहरी जनता के लिए समान रूप से कल्याणकारी और समाज के सभी वर्गों का उत्थान करने वाला है। इसमें बिजली, खनन, शहरी विकास, वित्तीय क्षेत्र, जीवन एवं कारोबारी सुगमता, कपड़ा उद्योग और सामुद्रिक उत्पादों के स्तर पर बड़े सुधारों का सूत्रपात हुआ है। पर्यटन उद्योग विशेषकर स्वास्थ्य पर्यटन को ध्यान में रखते हुए 50 क्षेत्रों को चिह्नित किया गया है। कृषि के साथ-साथ ये सभी क्षेत्र व्यापक स्तर पर रोजगार सृजन में सहायक होंगे।

कृषि को उचित रूप से प्राथमिकता में रखते हुए वित्त मंत्री ने कृषि की वृद्धि के साथ ही उपज उत्पादकता एवं किसानों की आमदनी में बढ़ोतरी पर ध्यान केंद्रित किया है। दलहन में तुअर, उड़द और मसूर के लिए राष्ट्रीय मिशन के माध्यम से आत्मनिर्भरता की योजना है। विभिन्न फसलों के लिए व्यापक उत्पादन वाले बीज विकसित करने की तैयारी है। फसलों को जलवायु परिवर्तन की तपिश से बचाने के लिए योजना भी केंद्र में है। कपास उत्पादन में भी नवाचार की पहल हुई है। कम उत्पादकता वाले सौ जिलों में धन धान्य कृषि योजना करीब 1.7 करोड़ किसानों को फायदा पहुंचाएगी। इसके लिए इन जिलों में कृषि एकीकृत विकास योजना अमल में लाई जाएगी।

नेशनल मैन्यूफैक्चरिंग मिशन से सूक्ष्म, छोटे एवं लघु उद्यमों यानी एमएसएमई को बड़ा सहारा मिलेगा। इस कड़ी में छोटे उद्यमियों के लिए क्रेडिट गारंटी बढ़ाई गई है।

एमएसएमई को 27 क्षेत्रों में एक प्रतिशत गारंटी फीस पर ऋण मिलेगा। स्टार्टअप के लिए पांच लाख तक के विशेष क्रेडिट कार्ड की व्यवस्था की गई है। फुटवियर और खिलौना उद्योग के लिए प्रोत्साहन से इन कदमों को और सहारा मिलेगा। राष्ट्रीय निर्यात मिशन से भी निर्यात को गति मिलेगी।

इससे एमएसई और एमएसएमई को लाभ मिलेगा। ये क्षेत्र रोजगार देने में भी अव्वल हैं। छोटे शहरों में ग्लोबल कैपिबिलिटी सेंटर्स यानी जीसीसी बनाने से भी इन शहरों का विकास होने के साथ ही रोजगार भी सृजन होगा। अपने शहर में ही रोजगार मिलने से ही यहां के पेशेवरों के समक्ष बड़े शहरों में पलायन की विवशता नहीं रह जाएगी। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआइ बढ़ाने के लिए भी सरकार ने कई कदम उठाए हैं।

शिक्षा, स्वास्थ्य और आवासीय योजनाओं के लिए भी सरकार ने उदारता दिखाई है। तीन वर्षों के दौरान सभी जिलों में कैंसर सेंटर स्थापित किए जाएंगे। वित्त वर्ष 2026 के दौरान ही 200 केंद्र बनाए जाएंगे। अस्पतालों की संख्या और उनमें सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। दवाओं पर आयात शुल्क घटाने से उनकी कीमतें घटेंगी। गिग वर्करों को भी हेल्थ कवर प्रदान किया गया है। सभी स्कूलों को ब्राडबैंड से जोड़ने के साथ ही भारत भाषा योजना के जरिये मातृभाषाओं में पाठ्यपुस्तकों की उपलब्धता भी शिक्षा की दशा-दिशा सुधारेगी।

मेडिकल कालेजों और आइआइटी में भी सीटें बढ़ाने की तैयारी है। वित्त वर्ष 2026 के दौरान और 40,000 किफायती आवास बनकर तैयार हो जाएंगे। शिपबिल्डिंग को सहायता के साथ ही 100 नए हवाई अड्डों के जरिये उड़ान योजना के अंतर्गत 120 नए गंतव्य जुड़ेंगे। परमाणु ऊर्जा के लिए सरकार ने काफी प्रबंध किए हैं। इनसे भविष्य के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा तैयार होगा। नवाचार, डिजिटल कायाकल्प, एआइ विकास और डिजिटल इकोसिस्टम के लिए भी पर्याप्त आवंटन भारत को दुनिया के साथ कदमताल करने में सहायक होगा।

उद्योगों के लिए राह आसान बनाने के लिए नियामकीय बाधाओं को दूर करने की प्रतिबद्धता जताई है। लाइसेंस और प्रमाणन प्रक्रिया सुगम होगी। करीब 100 से अधिक प्रविधानों को आपराधिक दायरे से मुक्त करना भी सराहनीय है। टैक्स नियमों को भी सरल एवं सहज बनाने की पहल होने जा रही है। जन विश्वास 2.0 और केवाइसी के लिए एकल पोर्टल से भी कारोबारी सुगमता बढ़ने के साथ ही भरोसा भी बढ़ेगा।

बजट में कुछ अपूर्णताएं भी हैं। कुछ राज्यों की अपेक्षाएं अपेक्षित रूप से पूरी नहीं हो पाई हैं, लेकिन वे साझेदारी के जरिये तरक्की की राह बना सकते हैं। वहीं, जब वृद्धि पर दबाव दिखता है तो ऐसी स्थिति से निपटने के लिए राजकोषीय अनुशासन के बजाय खर्च बढ़ाने को प्राथमिकता देने का नुस्खा सुझाया जाता है। हालांकि ऐसे तमाम ऊहापोह के बीच सरकार सभी मोर्चों पर संतुलन साधने में सफल रही है।

भारती के विकास में बाधक हैं जाति-धर्म

सामाजिक आर्थिक तथा धार्मिक विविधता वाले समाज को विवादों से परे रख आर्थिक विकास की परिकल्पना एक कठिन और दुष्कर अभियान जरूर है पर असंभव नहीं है और इसी की परिकल्पना को लेकर आजादी के पश्चात से पंचवर्षीय योजनाओं का प्रादुर्भाव सरकार ने समय-समय पर लागू किया है। विकास की अवधारणा में राष्ट्र की मुख्य धारा में समाज के पिछड़े वर्ग को शामिल कर उन्हें सम्मुख लाना होगा। यदि देश के पिछड़ा वर्ग और गरीब तबका विकास की मुख्यधारा से जुड़ता है तो गरीबी, भुखमरी, नक्सलवाद जैसे संकट अस्तित्वहीन हो जाएंगे और ऐसी समस्या धीरे-धीरे समाप्त होती जाएगी।

आजादी के बाद से भारत के समक्ष कई सामाजिक आर्थिक समस्याएं आई है। अक्सर सामाजिक क्षेत्र में समस्याओं ने अर्थव्यवस्था की उत्तरोत्तर प्रगति पर अवरोध खड़े किए हैं। देश की सामाजिक विषमताओं ने समाज में कई समस्याओं को जन्म दिया है एवं आर्थिक प्रगति पर विभिन्न सोपानों में लगाम लगाई है। भारतीय समाज में विषमता एवं विविधता भारत के लिए एक बड़ी समस्या बनकर सामने खड़ी है।

स्वतंत्रता के पूर्व तथा स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय समाज में विषमताएं भारत के लिए चुनौती बनकर वर्तमान में कई बाधाएं उत्पन्न कर रही हैं। आज जातिगत संघर्ष बढ़ गए हैं, जातिगत संघर्षों को राजनीतिक महत्वाकांक्षा ने बहुत जटिल बना दिया है। राजनीति सदैव महत्वाकांक्षा के बल पर जातिगत समीकरण के नए-नए रूप तथा आयाम देती आई है और हमेशा समाज में वर्ग विभेद आर्थिक विभेद कर के अपना उल्लू सीधा करना मुख्य ध्येय बन चुका है। उच्च वर्ग तथा निम्न वर्ग सदैव सत्ता के संघर्ष के लिए न सिर्फ एक दूसरे का परस्पर विरोध करते है बल्कि शासन प्रशासन के विरोध में भी खड़े पाए गए हैं। सत्ता पाने की लालसा में जातीय संघर्ष, नक्सलवाद तेजी से समाज में पनपता जा रहा है।

भारतीय परिपेक्ष में आज सिर्फ जाति ही नहीं धार्मिक महत्वाकांक्षा समाज के समक्ष चुनौती बन गया है। भारत में हिन्दू-मुस्लिम जाति संघर्ष ऐतिहासिक तौर पर अपनी जड़ें जमा चुका है। वर्तमान में मंदिर और मस्जिद के झगड़े देश में अशांति पैदा करने का एक बड़ा सबक बन चुके हैं। और यही वर्ग-विभेद संघर्ष भारतीय आर्थिक विकास के बीच एक बड़ा अवरोध बनकर खड़ा है। पश्चिमी विद्वान भी कहते हैं कि भारत के राष्ट्र के रूप में विकसित होने में जाति एवं धर्म ही सबसे बड़ी बाधाएं हैं, जिन्हें दूर करना सर्वाधिक कठिन कार्य है क्योंकि इसकी जड़ें भारत के स्वतंत्रता के पूर्व से देश में गहराई लिए हुए हैं। जातीय वर्ग संघर्ष और भाषाई विवाद ऐसा मुद्दा रहा है जिससे लगभग एक शताब्दी तक भारत आक्रांत रहा है। आजादी के बाद से ही भाषा विवाद को लेकर कई आंदोलन हुए खासकर दक्षिण भारत राज्यों द्वारा हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाए जाने एवं देश पर हिन्दी थोपे जाने के विरोध में विरोध प्रदर्शनों को प्रोत्साहित किया गया। आज भी विभिन्न राज्यों में भाषाई विवाद एक ज्वलंत एवं संवेदनशील मुद्दा बना हुआ है, चाहे वह बंगाल हो, तमिलनाडु हो, आंध्र प्रदेश हो, ओड़िसा और महाराष्ट्र में भी भाषाई विवाद अलग-अलग स्तर पर सतह पर पाए गए हैं। समान सिविल संहिता को लेकर बहुसंख्यक संविधान में आक्रोश है दूसरी तरफ अल्पसंख्यक समुदाय इसलिए डरा हुआ है कि कहीं उसकी अपनी अस्मिता एवं पहचान अस्तित्वहीन ना हो जाए। स्वतंत्रता के बाद से यह विकास की मूल धारणा थी कि पंचवर्षीय योजनाओं में वर्ग विहीन समाज में लोकतांत्रिक एवं धर्मनिरपेक्ष तरीके से समाज का आर्थिक विकास तथा रोजगार के साधन उपलब्ध हो सकेंगे। पर स्वतंत्रता के 75 वर्षोपरान्त भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में वर्ग विभेद भाषाई विवाद ने अभी भी आर्थिक विकास में कई बाधाएं उत्पन्न की है। संविधान में सदैव सकारात्मक वर्ग विभेद एवं विकास की अवधारणा को प्रमुखता से शामिल किया गया था और पंचवर्षीय योजनाओं में भी विकास को वर्ग विभेद से अलग रखकर विकास की अवधारणा को बलवती

बनाया गया है।

सामाजिक आर्थिक तथा धार्मिक विविधता वाले समाज को विवादों से परे रख आर्थिक विकास की परिकल्पना एक कठिन और दुष्कर अभियान जरूर है पर असंभव नहीं है और इसी की परिकल्पना को लेकर आजादी के पश्चात से पंचवर्षीय योजनाओं का प्रादुर्भाव सरकार ने समय-समय पर लागू किया है। विकास की अवधारणा में राष्ट्र की मुख्य धारा में समाज के पिछड़े वर्ग को शामिल कर उन्हें सम्मुख लाना होगा। यदि देश के पिछड़ा वर्ग और गरीब तबका विकास की मुख्यधारा से जुड़ता है तो गरीबी, भुखमरी, नक्सलवाद जैसे संकट अस्तित्वहीन हो जाएंगे और ऐसी समस्या धीरे-धीरे समाप्त होती जाएगी।

आवश्यकता यह है कि हमें राष्ट्रवाद को सर्वोपरि मानकर इस पर अमल करना होगा। फिर चाहे वह सांस्कृतिक राष्ट्रवाद हो या समावेशी राष्ट्रवाद हो। समाज की मुख्यधारा में राष्ट्रवाद को एक प्रमुख अस्त्र बनाकर देश की प्रगति में इसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। आजादी के ७६ वर्ष बाद भी ब्रिटिश हुकूमत की तरह गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी, नक्सलवाद, आतंकवाद,सांप्रदायिकता, भाषावाद एवं क्षेत्रीय विघटनकारी प्रवृत्तियां सिर उठाये घूम रही हैं और हम इन पर अभी तक प्रभावी नियंत्रण नहीं लगा पाए हैं। हमें इन सब विसंगतियों से ऊपर उठकर राष्ट्रीय नागरिकता एवं भारत राष्ट्र की विकास की अवधारणा को राष्ट्रवाद से जोड़कर आर्थिक विकास को एक नया आयाम देना होगा तब जाकर भारत वैश्विक स्तर पर आर्थिक रूप से मजबूत एवं आत्मनिर्भर बन सकेगा।

जब हम भारत के लोग' अपना नया स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं बाबा नागार्जुन की एक प्रसिद्ध कविता का वह सवाल पहले से अधिक प्रासंगिक हो गया है जिसमें पहले वे पूछतैं हैंः किसकी है जनवरी क्सिका अगस्त है? बाबा अपने सवाल को कौन त्रस्त कौन पस्त और कौन मस्त तक भी ले जाते है तो लगता है कि उन्हें आज की तारीख में हमारे सामने उपस्थित विकट हालात का पहले से इल्म था।

ऐसे हालातों की विडम्बना देखिए- एक ओर तो अब हमारे नेता देश को समता, स्वतंत्रता और न्याय पर आधारित संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने का 26 नवम्बर, 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित संकल्प को संविधान की पोथियों में भी चैन से नहीं रहने देना चाहते; और दूसरी ओर गैर-बराबरी का भस्मासुर न सिर्फ हमारी बल्कि दुनिया भर की जनतांत्रिक शक्तियों के सिर पर अपना हाथ रखकर उन्हें धमकाने पर आमादा है कि लोकतंत्र की अपनी परिकल्पनाओं को लेकर किसी मुगालते में न रहें।

अमीरी का जाया यह असुर उनके सारे के सारे मूल्यों को तहस-नहस करने का मंसूबा लिए उन्मत्त होकर आगे बढ़ा आ रहा है और आरजू या मिनती कुछ भी सुनने के मूड में नहीं है। अभी जब हम अपना पिछला गणतंत्र दिवस मनाने वाले थे, गरीबी उन्मूलन के लिए काम करने का दावा करने वाले ऑक्सफेम इंटरनेशनल ने एक सर्वेक्षण में बताया गया था कि आर्थिक विषमता की, जो सभी तरह की स्वतंत्रताओं और इंसाफों की साझा दुश्मन है, दुनिया भर में ऐसी पौ-बारह हो गई है कि पिछले साल बढ़ी 762 अरब डॉलर की संपत्ति का 82 फीसदी हिस्सा एक प्रतिशत धनकुबेरों के कब्जे में चला गया है, अधिसंख्य आबादी को जस की तस बदहाल रखते हुए।

इस संपत्ति के रूप में धनकुबेरों ने गरीबी को सात बार सारी दुनिया से खत्म कर सकने का सार्मथ्य इस एक साल में ही अपनी मुट्ठी में कर लिया तो क्या आश्चर्य कि गरीबों के लिए ह्यकर लो दुनिया मुट्ठी में' का अर्थ एक संचार सेवाप्रदाता कंपनी के झांसे का शिकार होना भर हो गया है। तिस पर अनर्थ यह कि 50 प्रतिशत अत्यंत गरीब आबादी को आर्थिक वृद्धि में कतई कोई हिस्सा नहीं मिल पाया है जबकि अरबपतियों की संख्या बढ़कर 2, 043 हो गई है। इनमें 90 फीसदी पुरु ष हैं यानी यह आर्थिक ही नहीं लैंगिक असमानता का भी मामला है, पितृसत्ता के नये सिरे से मजबूत होने का भी। (अगले अंक में जारी)

घूँघट की बगावत

09 फरवरी 2025

प्रत्येक रविवार को प्रकाशित
हिन्दी साप्ताहिक समाचार पत्र

कामकाजी महिलाओं की चुनौतियां

विजय गर्ग

वैश्वीकरण के दौर में शुरू किए गए आर्थिक और तकनीकी परिवर्तनों के फलस्वरूप महिलाओं की तुलना में पुरुषों को आमतौर पर अपेक्षाकृत अधिक प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर मिले। इसके कारण अधिकतर महिलाओं को अनौपचारिक क्षेत्र या आकस्मिक श्रमबल में प्रवेश करना पड़ा। भारत में कुल कामगारों में से असंगठित क्षेत्र में कार्यरत कार्यबल का लगभग 33 फीसद हिस्सा महिलाओं का है। यह स्पष्ट है कि अनौपचारिक क्षेत्र भारत में बड़ी संख्या में महिला श्रमिकों को आजीविका प्रदान करता है।

भारतीय परिवारों पर आर्थिक दबाव दिन-प्रतिदिन बढ़ रहा है। देश में जीवन निर्वाह लागत, बच्चों की शिक्षा के लिए खर्च और आवास संपत्तियों की लागत में तेजी से वृद्धि हुई है, जिससे हर परिवार को अपनी आय बढ़ाने के 5 तरीके तलाश करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। इस कारण देश में रोजगार मामले में महिलाओं की सहभागिता बढ़ी है। भारत सरकार के सांख्यिकी मंत्रालय की रपट के अनुसार असंगठित क्षेत्र में महिलाओं के स्वामित्व वाले प्रतिष्ठानों की संख्या वर्ष 2022-23 के 22.9 फीसद से स बढ़ कर वर्ष 23-24 में 26.2 फीसद हो गई। श्रम मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के नए सदस्यों में महिलाओं की हिस्सेदारी बीते सितंबर के 26.1 फीसद से बढ़ कर अक्तूबर में 27.9 फीसद हो गई। यह वृद्धि कोई उल्लेखनीय नहीं कही जा सकती।

कामकाजी महिलाओं के संबंध में 'एनएसओ' की वर्ष 2024 में जारी रपट के अनुसार शहरों में कुल 52.1 फीसद महिलाएं और 45.7 फीसद पुरुष कामकाजी हैं। मगर ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं नौकरियों में अब भी पुरुषों से पीछे हैं, हालांकि पिछले छह वर्षों में उनकी हिस्सेदारी दोगुनी हो गई और यह 5.5 फीसद से 10.5 फीसद तक पहुंच गई। शहरी कामकाजी महिलाओं में से 52.1 फीसद नौकरीपेशा, 34.7 फीसद स्वरोजगार में तथा 13.1 फीसद अस्थायी श्रमिक हैं। 'इंडिया एट वर्क' की रपट 2024 अनुसार इस साल नौकरियों के लिए कुल सात करोड़ आवेदन आए, जिनमें 2.8 करोड़ महिलाओं के थे। यह संख्या 2023 की तुलना में 20 फीसद अधिक है। देश के रोजगार परिदृश्य में बदलाव आ रहा है और कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है। रपट के अनुसार 2023 के मुकाबले 2024 में महिला पेशेवरों के औसत वेतन में भी 28 फीसद की वृद्धि हुई। इस सब के बावजूद संगठित क्षेत्र में असंगठित क्षेत्र की तुलना में महिलाओं के कम रोजगार का मुख्य कारण कम कौशल और कम वेतन पर काम करने के लिए तैयार होने की मजबूरी है। देश में पुरुषों और महिलाओं के बीच वेतन में लगभग 25.4 फीसद का अंतर है। अधिकांश असंगठित क्षेत्र के व्यवसाय जैसे मिट्टी के बर्तन बनाने, कृषि, निर्माण कार्य, हथकरघा, घरेलू सेवाएं और घरेलू उद्यमों में महिलाएं कार्यरत हैं। असंगठित क्षेत्र में महिला श्रमिक आमतौर पर बहुत कम वेतन पर बीच-बीच में काम करने वाले आकस्मिक श्रमिक के रूप में कार्यरत हैं। उनको अत्यधिक शोषण का सामना करना पड़ता है, जिनमें काम की लंबी अवधि अस्वीकार्य कार्य परिस्थितियां और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बनी रहती हैं।

भर्ती एजंसी 'टीमलीज सर्विसेज' की एक रपट के

अनुसार भारत में दस में से पांच महिला कर्मचारियों ने किसी न किसी तरह के लैंगिक भेदभाव का अनुभव किया है। यह भेदभाव वेतन, कार्य के घंटे, अवकाश, अवसर और पदोन्नति के मामले में है। इस सर्वेक्षण के अनुसार, गर्भवती महिलाओं और छोटे बच्चों वाली महिलाओं को भी भर्ती प्रक्रिया के दौरान और नौकरी की संभावनाओं के लिए प्रतिस्पर्धा करते समय नुकसान उठाना पड़ता है। कामकाजी महिलाएं हों या अपना कारोबार करने वाली, उन्हें काम पर तुलनात्मक रूप से अधिक चुनौतियों का सामना सिर्फ इसलिए करना पड़ रहा है, क्योंकि वे महिला हैं। यह धारणा कि महिलाएं केवल विशिष्ट कार्यों के लिए ही उपयुक्त हैं। यहां तक कि बेहतर योग्यता वाली महिलाओं के समांतर समान योग्यता वाले पुरुष उम्मीदवार को वरीयता दी जाती है। भले ही कानून भर्ती और पारिश्रमिक में समानता की घोषणा करता है, लेकिन इसका हमेशा पालन नहीं किया जाता है। एक ही काम के लिए महिलाओं और पुरुषों को अलग-अलग वेतन मिलता है। देश में संगठित और असंगठित कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी में सुधार के लिए समय-समय पर प्रयास भी किए गए हैं। इसके लिए बने कार्यबल ने अगस्त 2024 में अपनी सातवीं बैठक में इस बात पर जोर दिया कि कार्यबल में महिलाओं की सक्रिय और सार्थक भागीदारी को बढ़ावा देना सामाजिक न्याय के साथ-साथ जीवंत, नवोन्मेषी और समतामूलक समाज के निर्माण के लिए आवश्यक आर्थिक और रणनीतिक अनिवार्यता है। टास्क फोर्स ने देखभाल अर्थव्यवस्था को एक ऐसे क्षेत्र के रूप में पहचाना, जिसमें महिला कार्यबल भागीदारी बढ़ाने की महत्त्वपूर्ण संभावना है। टास्क फोर्स ने उद्योग संघों आग्रह किया कि वे आर्थिक गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए जागरूकता पैदा और नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करें।

महिला रोजगार की स्थिति को संतोषजनक बनाने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी समय-समय पर प्रयास हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र का मानना है कि हमारी प्राथमिक अवधारणा यह है कि महिलाओं के लिए समान अवसर होने चाहिए। महिलाओं को रोजगार में समान अवसर दिलाने की दृष्टि से वर्ष 2006 के अंतरराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में इस हेतु प्रस्ताव में इसकी पुष्टि भी की गई। महिलाओं के अधिकारों की स्थिति पर आयोग ने कई अहम मुद्दों पर सिफारिशें की हैं, जिनका लक्ष्य पुरुषों और महिलाओं के लिए समान अधिकार के सिद्धांत को व्यवहार में लाना है।

देश में कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के माध्यम से महिलाओं को उनके कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए प्रावधान किए गए हैं। मातृत्व लाभ (संशोधन) विधेयक, 2016 में संगठित क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं को मौजूदा 12 सप्ताह से बढ़ा कर 26 सप्ताह का मातृत्व अवकाश देने का प्रावधान किया गया। यह कानून दस या उससे अधिक कर्मचारियों वाले सभी व्यवसायों पर लागू है। अन्य कानूनों जैसे कारखाना अधिनियम, समान मजदूरी अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम आदि में भी यथास्थान महिलाओं के हितों की सुरक्षा के लिए प्रावधान किए गए हैं।

देश के संगठित और असंगठित क्षेत्र में महिलाओं के रोजगार की गुणवत्ता में सुधार की दृष्टि से सरकार व्यावसायिक संगठनों और अन्य सभी संबंधित पक्षकारों के मिले-जुले प्रभावी प्रयासों से ही महिलाओं के रोजगार अवसरों में वृद्धि और कार्यदशाओं में सुधार संभव है। उनको घर का काम भी करना पड़ता है। ऐसी महिलाओं को अंशकालिक रोजगार के समुचित अवसर मिलने चाहिए। जो महिलाएं पढ़ी-लिखी हैं वे आनलाइन पोर्टल के जरिए अपना काम शुरू कर सकती हैं जैसे शिक्षण, कपड़ा व्यवसाय, फास्ट फूड जैसे केक, पिज्जा बर्गर आइसक्रीम आदि का कारोबार वे घरों से सिलाई, कढ़ाई, मेहंदी, पापड़, अचार और टिफिन सेंटर जैसे गृह कार्यों से अपना व्यवसाय शुरू कर सकती हैं। परंपरागत लघु उद्योगों को नई तकनीक से शुरू कर महिलाओं को ज्यादा अवसर दिए जा सकते हैं।

बिजलीकर्मियों का विरोध प्रदर्शन जारी

गोरखपुर (जीकेबी)। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उप्र के आह्वान पर बिजली के निजीकरण को लेकर गत शुक्रवार को प्रदेश स्तरीय विरोध प्रदर्शन के तहत मुख्य अभियंता कार्यालय पर जिले के बिजलीकर्मियों का विरोध प्रदर्शन जारी रहा। संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने कहा कि ऐसी चर्चा है कि बिजलीकर्मियों को डराने हेतु उनको मिल रहे समयबद्ध वेतनमान में प्रतिगामी बदलाव किया जा रहा है। यदि वेतनमान में कोई भी प्रतिगामी बदलाव किया गया तो इसके गम्भीर परिणाम होंगे। वहीं, यह भी कहा कि उपभोक्ताओं के बीच व्यापक जनसंपर्क कर घाटे और एटी एंड सी हानियों को बढक्षझ्झचढक्ष कर दिए जा रहे गलत आंकडक्षें के पीछे के निगम प्रबंधन की मंशा उजागर करने की रणनीति भी बनाई गई। ॥ मोहद्दीपुर स्थित मुख्य अभियंता कार्यालय के समक्ष आयोजित विरोध सभा को संबोधित करते हुए विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति गोरखपुर के संयोजक पुष्पेन्द्र सिंह कहा कि पूवांचल विद्युत वितरण निगम में पॉवर कारपोरेशन के आंकड़े के अनुसार वर्ष2023-24 में एटी एंड सी हानियां 25.26 प्रतिशत हैं जबकि पता चला है कि आरएफपी डॉक्यूमेंट में 49.32 प्रतिशत हानियों बताई गई है।

इसी प्रकार से दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम में वर्ष-2023-24 में एटी एंड सी हानियां 22.75 प्रतिशत हैं, जबकि आरएफपी डॉक्यूमेंट में यह हानियां 34.33 प्रतिशत बताई गई हैं। वर्ष-2010 में जब आगरा शहर टोरेंट पावर कंपनी को दिया गया था, तब भी आगरा में 54 प्रतिशत हानियां बताई गई थी और इस कारण हुए करार का दुष्परिणाम आज भी पावर कारपोरेशन भुगत रहा है। आगरा में वर्ष-2023-24 में पावर कारपोरेशन ने रु 05.55 प्रति यूनिट की दर से बिजली खरीदकर टोरेंट पावर कंपनी को रु 04.36 प्रति यूनिट में बेचा और मात्र एक वर्ष में 275 करोड़ रुपए का नुकसान उठाया। विगत 14 वर्षों में पावर कारपोरेशन आगरा में टोरेंट पावर कंपनी को खरीद से कम मूल्य पर बिजली देने में 2434 करोड़ रुपए का नुकसान उठा चुका है।

संघर्ष समिति ने चेतावनी देते हुए कहा कि अब पूवांचल और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगमों के निजीकरण में इससे भी बडक्ष घोटाला करने की तैयारी है, जिसका दुष्परिणाम आम उपभोक्ताओं को बिजली की बेतहाशा बढ़ी दरों से चुकाना पड़ेगा।

मंत्रोच्चार के बीच रखीगई आरएएस चिल्ड्रेन स्कूल के भवन की आधार शिला

डेरवां (जीकेबी)। चिल्लूपार विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी ने शुक्रवार को आरएएस चिल्ड्रेन स्कूल डेरवां के भवन विस्तार की आधारशिला वैदिक मंत्रोच्चार के साथ रखी। इसके बाद विद्यालय के बच्चों ने मनमोहक सांस्तिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। गत शुक्रवार को आरएएस चिल्ड्रेन स्कूल की आधार शिला पूजन व स्थापन के बाद उपस्थित लोगों को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित करते हुए पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी ने कहा कि भवन का निर्माण कार्य हो जाने से विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों सहित आसपास के बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने में काफी सहूलियत होगी। प्रबंधक पूर्व प्रमुख राजबहादुर सिंह ने सभी आगंतुकों का स्वागत व आभार जताया।

शिक्षित वही है जिसके आचरण में शिक्षा दिखे

गोरखपुर(जीकेबी)। हिंदी विभाग निरंतर अपनी विशिष्टता साबित कर रहा है। यहां के विद्यार्थियों का आत्म विश्वास, सहजता व गुणवत्ता विभाग के शिक्षकों की भूमिका को सहज ही स्पष्ट कर रहा है। शिक्षित वही है जिसके आचरण में शिक्षा दिखे। विद्यार्थी हो या शिक्षक उसकी निरंतरता ही उसे श्रेष्ठता की ओर ले जाती है। उक्त उद्गार कुलपति प्रो.पूनम टंडन ने व्यक्त किये। शुक्रवार को वे दीदउ गोविवि के हिंदी विभाग में हीरक जयंती वर्ष के अंतर्गत बसंतपंचमी तथा निराला जयंती कार्यक्रम के भव्य आयोजन की अध्यक्षता करते हुए कार्यक्रम को संबोधित कर रहीं थी। हिंदी विभाग में कई दिनों से चल रहे श्रृंखलाबद्ध कार्यक्रमों के समापन अवसर पर प्रो. चितरंजन मिश्र ने बतौर मुख्य अतिथि कहा कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला अपने समय की उग्र असहमतियों को सप्तम स्वर में व्यक्त करने वाले कवि रहे हैं। उन्होंने कहा कि साहित्य मनुष्य को दायरे से मुक्त करता है। मन की गांठ खोलता है। कला संकाय के अधिष्ठाता प्रो. राजवंत राव ने कहा कि निराला संस्कृति के शाश्वत सूत्रों को पकडक्षकर चलते हैं और प्रवाहमान रूढिक्ष्यों के विरुद्ध लड़ते हैं। उनकी कविताएं न सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ बल्कि देसी सेठ-साहूकारों वह सामंती मूल्यों के खिलाफ भी खडक्षी होती है। हिंदी विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर कमलेश कुमार गुप्त ने स्वागत वक्तव्य देते हुए कहा कि निराला वार्सतिक चेतना के साहित्यकार हैं। छायावाद की आलोचना का खंडन भी है निराला का साहित्य। इस अवसर पर हिंदी विभाग की दीवार पत्रिका सृजन' का लोकार्पण भी किया गया। साथ ही विभाग में आयोजित भाषण प्रतियोगिता काव्य पाठ, फीचर लेखन एवं निबंध प्रतियोगिता के विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। विद्यार्थियों ने निराला की कविताओं की सुरमय प्रस्तुतियां दीं। प्रोफेसर विमलेश कुमार मिश्रा ने भी निराला की गजल को सुरीली आवाज दी। संचालन डॉ. सुनील कुमार तथा आभार ज्ञापन हिंदी विभाग की सांस्कृतिक समिति के संयोजक डॉ. राजेश मल्ल ने किया।

वैश्विक स्तर पर बढ़ते कैंसर के मामले

बीएमजे ऑन्कोलॉजी जर्नल में प्रकाशित एडिनबर्ग विश्वविद्यालय के शोधकताओं की स्टडी के अनुसार पिछले 30 वर्षों में दुनियाभर में 50 वर्ष से कम आयु के लोगों में कैंसर के नए मामलों में 79 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इस दौरान श्वासनली और प्रोस्टेट कैंसर के मामले सर्वाधिक रिपोर्ट किए गए, जो चिंता बढ़ाने वाले हैं। 1990 के बाद से श्वासनली और प्रोस्टेट कैंसर सबसे तेजी से बढ़ा। 2019 की शुरूआत में स्तन कैंसर के मामले सर्वाधिक रिपोर्ट किए जा रहे थे, जिसका जोखिम बना हुआ है। स्तन, श्वासनली, फेफड़े, आंत और पेट कैंसर के कारण अभी भी सर्वाधिक मौतें रिपोर्ट की जा रही हैं। विशेषज्ञों का अनुमान है कि 2030 में कैंसर के नए शुरूआती मामलों में 31 प्रतिशत और उससे जुड़ी मौतों में 21 प्रतिशत की वृद्धि हो सकती है। ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज 2019 के आंकड़ों के आधार पर रिसर्चर्स के मुताबिक-2019 में 50 से कम उम्र के लोगों में कैंसर के नए मामलों की संख्या 1.82 मिलियन थी, जो 1990 के आंकड़े से 79 प्रतिशत अधिक थी। भारत में कैंसर के निरन्तर बढ़ रहे मामले स्वास्थ्य ढांचे के लिए गंभीर चुनौती हैं। प्री-मैच्योर मौत का सबसे बड़ा कारण माने जाने वाले कैंसर के मामलों का ग्राफ देश में लगातार ऊपर की ओर जा रहा है। डब्ल्यूएचओ के अनुसार दुनिया में प्रतिवर्ष एक करोड़ से भी ज्यादा कैंसर के नए मामले सामने आते हैं और दुनिया के 15 फीसदी कैंसर मरीज भारत में हैं। कई मामलों में तो मरीज अपना इलाज तक नहीं करा पाते। इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च आईसीएमआर की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में आगामी पांच वर्षों में कैंसर मामलों की संख्या 12 फीसदी बढ़ जाएगी। यहां कैंसर के 40 फीसदी से भी ज्यादा मरीज फेफड़े, स्तन, अन्नप्रणाली, मुंह, पेट, लीवर और गर्भाशय ग्रीवा कैंसर से पीड़ित हैं, जिनमें फेफड़ों के कैंसर से 10.6 फीसद, स्तन कैंसर से 10.5, अन्नप्रणाली कैंसर से 5.8, मुंह के कैंसर से 5.7, पेट के कैंसर से 5.2, लीवर कैंसर से 4.6 और गर्भाशय ग्रीवा कैंसर से 4.3 फीसदी लोग पीड़ित हैं। राष्ट्रीय कैंसर रजिस्ट्री कार्यक्रम रिपोर्ट के मुताबिक महिलाओं में कैंसर के मामले ज्यादा सामने आ रहे हैं। आईसीएमआर तथा नेशनल सेंटर फॉर डिजीज इन्फॉरमेटिक्स एंड रिसर्च (एनसीडीआईआर) के अनुसार भारत में कैंसर के कुल केसों का करीब 27 फीसदी तम्बाकू जनित होने की संभावना है। इसके अलावा स्तन कैंसर के 2.4 लाख जबकि फेफड़ों के कैंसर के 1.1 लाख तथा मुंह के कैंसर के 90 हजार मामले सामने आ सकते हैं। रिपोर्टों के अनुसार पुरुषों में कैंसर के 50 फीसदी मामले तम्बाकू के कारण होते हैं। अमेरिका के जाने-माने कैंसर विशेषज्ञ डा. जेम अब्राहम चेतावनी दे चुके हैं कि भारत को कैंसर जैसी क्रॉनिक बीमारियों की सुनामी का सामना करना पड़ सकता है। उनके मुताबिक वैश्वीकरण, बढ़ती अर्थव्यवस्था, बढ़ती आबादी और बदलती जीवनशैली के कारण ये मामले बहुत तेजी से बढ़ेंगे। हालांकि कैंसर की रोकथाम और उपचार के लिए टीके, एआई, डेटा डिजिटल तकनीक का विस्तार, लिक्विड बायोप्सी से निदान, जीन एडिटिंग टेक्नॉलोजी का विकास एवं अगली पीढ़ी के इम्युनोथेरैपी तथा सीएआर टी सेल थैरेपी का इस्तेमाल कैंसर के उपचार को नया रूप देंगे।

आखिरकार भाजपा ने दिल्ली की सत्ता हासिल कर ली

समय के साथ आम आदमी पार्टी एक ऐसा दल बनी थी, जिसने दो राज्यों-पहले दिल्ली और फिर पंजाब में सरकार बनाई और राष्ट्रीय दल का दर्जा पाया। दिल्ली में हार से आप को करारा झटका लगा है, लेकिन वह अब भी एक राजनीतिक ताकत है। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि आप से मुकाबले के लिए भाजपा को उसके जैसे ही तौर-तरीके अपनाने पड़े।

उसे न केवल यह घोषणा करनी पड़ी कि आप सरकार की जनकल्याणकारी योजनाएं जारी रहेंगी, बल्कि कुछ नई लोकलुभावन घोषणाएं भी करनी पड़ीं। तथ्य यह भी है कि आप ने रेवड़ियां बांटने की जो राजनीति शुरू की, उसे कई अन्य दलों ने भी अपनाया। इनमें कांग्रेस भी है। दिल्ली के नतीजों ने आप के साथ ही कांग्रेस को भी झटका दिया है। कांग्रेस लगातार तीसरी बार एक भी सीट नहीं जीत सकी।

शायद कांग्रेस को अब यह आभास हो कि उसने 2013 में केजरीवाल की सरकार बनवाकर भारी भूल की थी। वह ऐसी ही भूल क्षेत्रीय दलों को समर्थन देने की करती रही है। इससे ही कांग्रेस का भविष्य धूमिल हुआ है। कांग्रेस की असफलता के लिए गांधी परिवार ही जिम्मेदार है, क्योंकि पार्टी की कमान उसके ही हाथ है। दिल्ली के नतीजों से उसे सबक सीखने होंगे।

आप के संस्थापक अरविंद केजरीवाल ने अपनी छवि एक जुझारू नेता की बनाई। वह मुख्यमंत्री रहते हुए धरने पर बैठे, लेकिन लड़ाकू नेता की उनकी छवि ने उन्हें नुकसान ही पहुंचाया, क्योंकि यह धारणा बनी कि वह अपना काम करने के बजाय लड़ाई-झगड़ा करना पसंद करते हैं। वह जब तक मुख्यमंत्री रहे, केंद्र सरकार से उलझते ही रहे। इससे दिल्ली को नुकसान हुआ।

दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है। यहां केंद्र के सहयोग के बिना शासन करना संभव नहीं। केंद्र से तनातनी के कारण दिल्ली में विकास और जनकल्याण के कई काम नहीं हो सके और आधारभूत ढांचे को भी नहीं सुधारा जा सका। राजनीतिक हठ की एक सीमा होती है। यदि इस सीमा को लांघा जाता है तो समस्याएं पैदा होती हैं। भाजपा ने केजरीवाल के समस्या पैदा करने वाले इसी रवैये का लाभ उठाया। भाजपा ने दिल्ली में जोरदार राजनीतिक सफलता मुख्यमंत्री के दावेदार की घोषणा किए बिना हासिल की।

भाजपा को इसका भी लाभ मिला कि उसकी चुनावी घोषणाओं को प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी गारंटी बताकर दिल्ली की जनता को आश्वस्त किया। भाजपा इसलिए भी दिल्ली में भी बाजी पलटने में सफल रही, क्योंकि

उसने प्रभावी रणनीति के साथ आरएसएस के साथ बेहतर सामंजस्य बैठाया और एकजुटता का प्रदर्शन किया। गुटबाजी दिल्ली भाजपा की एक बड़ी समस्या रही है। उम्मीद की जाती है कि यह समस्या फिर नहीं उभरेगी और भाजपा भावी मुख्यमंत्री के पीछे एकजुट दिखेगी।

चुनाव के समय आप की रंगत इसलिए फीकी दिख रही थी, क्योंकि उसका ज्यादातर समय आरोपों का जवाब देने में जाया हो रहा था। वह दिल्ली की समस्याओं के लिए केंद्र को दोष दे रही थी, लेकिन जनता को दिख रहा था कि आप सरकार अपने हिस्से के भी काम नहीं कर रही। दिल्ली की जनता को अपनी समस्याएं कम होने के स्थान पर बढ़ती दिख रही थीं।

भले ही आप कैडर आधारित दल हो, लेकिन केजरीवाल ने धीरे-धीरे सारे संस्थापक सदस्य किनारे कर दिए। वह पार्टी के पर्याय बन गए। केजरीवाल जब दूसरों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते थे तो कहते थे कि इस्तीफा देकर खुद को निर्दोष साबित करो, लेकिन जब अपनी बारी आई तो उन्होंने इस नसीहत पर अमल नहीं किया। उन्होंने जेल से ही सरकार चलाने की जिद पकड़ी।

उन्होंने मजबूरी में तब इस्तीफा दिया, जब सुप्रीम कोर्ट ने यह शर्त लगा दी कि जमानत के दौरान वह मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जा सकते। उन्होंने इस्तीफा देकर आतिशी को मुख्यमंत्री तो बनाया, लेकिन चुनावों के पहले यह कह दिया कि पार्टी जीतती है तो वह फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। जेल जाने पर वह पत्नी सुनीता केजरीवाल को अपना उत्तराधिकारी बनाने की कोशिश करते दिखे थे। दिल्ली की सत्ता से बाहर हो जाने के बाद केजरीवाल की चुनौतियां बढ़ना तय है। देखना है कि वह दिल्ली में लगे झटके से उबर पाते हैं या नहीं? आखिरकार भाजपा ने दिल्ली की सत्ता हासिल कर ली। वह 27 वर्षों से दिल्ली की सत्ता से बाहर थी। दिल्ली की सत्ता से भाजपा के बाहर होने के बाद कांग्रेस ने लगातार 15 साल शासन किया। 2013 के विधानसभा चुनावों में अन्ना आंदोलन से निकली आम आदमी पार्टी ने 70 में से 28 सीटें जीतकर चमत्कार सा कर दिया।

आप ने जिस कांग्रेस को सत्ता से बाहर किया, उसी ने उसकी सरकार बनाने में इसलिए मदद की ताकि भाजपा को सत्ता से दूर रखा जा सके। मुख्यमंत्री बने अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस से मतभेदों के चलते 49 दिन बाद त्यागपत्र दे दिया। इसके बाद राष्ट्रपति शासन लगा और जब 2015 में विधानसभा चुनाव हुए तो आप ने 67 सीटें जीत कर चकित कर दिया। इसलिए और भी, क्योंकि 2014 के लोकसभा चुनावों में मोदी पूर्ण बहुमत के साथ प्रधानमंत्री बन चुके थे।

इसी तरह 2020 में भी आप ने 62 सीटें जीतीं और वह भी तब जब 2019 के लोकसभा चुनाव में मोदी को प्रचंड बहुमत मिला था। इस बार विधानसभा चुनावों में आप मुश्किल में दिख रही थी, क्योंकि केजरीवाल समेत आप के बड़े नेता भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जा चुके थे। इससे केजरीवाल की भ्रष्टाचार से लड़ने वाले नेता की छवि को धक्का लगा।

मुख्यमंत्री आवास की साजसज्जा में 40 करोड़ से अधिक धन खर्च किए जाने से भी जनता को यह लगा कि केजरीवाल की कथनी-करनी में अंतर है। लगता है केजरीवाल ने अन्ना हजारे की इस नसीहत पर ध्यान नहीं दिया कि राजनीति काजल की कोठरी होती है। इससे बड़ी विडंबना और कोई नहीं कि जो पार्टी भ्रष्टाचार से लड़ने का दावा कर रही थी, उसी पर घपले-घोटाले का आरोप लगा। हालांकि केजरीवाल ने यह बताने की कोशिश की कि उन पर झूठा आरोप लगाकर उन्हें बदनाम किया गया, लेकिन नतीजे बता रहे कि उनकी सफाई जनता को रास नहीं आई। वह खुद भी चुनाव हार गए।

स्वामी/मुद्रक/प्रकाशक पंकज धर द्विवेदी द्वारा जनप्रकाशन प्रेस निकट रीड्स साहब का धर्मशाला से मुद्रित एवं 45, बादशाह बाग, जगन्नाथपुर, गोरखपुर से प्रकाशित।

संपादकः पंकज धर द्विवेदी

संपर्क सूत्र : ghoonghatkibagawat37@gmail.com